अध्याय–1
विद्युत विनियमामक आयोग की संरचना

1.1 वैधानिक प्रावधान

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन दिसम्बर, 2000 में किया गया तथा आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को अपना कार्य आरम्भ किया गया। उस समय देश में विद्युत उद्योग तीन अधिनियमों नामतः भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 ; विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 तथा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1948 के अधीन कार्य करता था। 1910 के अधिनियम के अन्तर्गत भारतवर्ष के विद्युत आपूर्ति उद्योग हेतु आधारभूत विधिक ढाँचा स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य निजी लाइसेंसधारियों के माध्यम से विद्युत उद्योग का विकास करना था। इसके द्वारा विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अधीन तारों तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए स्थापित विधिक ढ़ांचा तथा राज्य विद्युत बोर्डों की स्थापना अधिदेशित किया जाना था। यह महसूस किया गया कि विद्युतीकरण, जो कि अभी तक शहरों तक ही सीमित था को अधिक गति प्रदान की जाए और राज्यों को यह दायित्व सौंपा जाए। तथापि कुछ समय के पश्चात, शुल्क निर्धारण, एक व्यवसायिक तथा स्वतन्त्र रूप में न किए जाने की स्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों की निष्पादन क्षमता में विकृति आ गई क्योंकि वास्तव में शुल्क निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। इस समस्या के निराकरण तथा शुल्क निर्धारण में राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचने के उद्देश्य से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित करने के प्रावधान किए गये। विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिनियम बनाए गए। राज्य सुधार अधिनियमों के अधीन उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कनार्टक, राजस्थान तथा उतर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना तथा अपनी विभिन्न स्थानांतरण स्कीमों के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्डों को एक पृथक उत्पादन, संचारण एवं वितरण कम्पनी के रूप में स्थापित किए जाने की दिशा में पहले ही कई सुधार अमल में लाए गए।

विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा विद्युत उपयोग एवं सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास हेतु इसके अनुरूप उपाय करने, प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने, उपभोक्ता हितो की सुरक्षा, सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान करने, विद्युत शुल्क को तर्क संगत बनाने, उपदान के सम्बन्ध में पारदर्शी नीति सुनिश्चित करने, कुशल एवं पर्यावरण–मित्र नीतियों के विकास, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने सम्बन्धी नियमों को समेकित किए

जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003, 26 मई, 2003 को अधिनियमित किया गया था। 2003 में अधिनियमित इस अधिनियम के अधीन विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, विनियामक दायित्वों में सरकार से दूरी बनाए रखने, 1910, 1948 तथा 1998 के पूर्व तीनों केन्द्रीय अधिनियमों में अनुरूपता एवं औचित्य स्थापित करते हुए राज्य विद्युत बोर्डों के अस्तिव बनाए रखने, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अपने सुधार अधिनियम पारित करने तथा इसके साथ ही राज्य सरकार तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लाइसेंसधारियां के नियंत्रण सम्बन्धी निराकरण उपायो से अन्यथा मूल विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए मात्र एक विधान बनाया जाना शामिल है।

2003 के अधिनियम तथा 1998 के अधिनियम के अधीन गठित केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए सभी आयोग अब विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन कार्य करते हैं। ये आयोग, अर्द्ध–न्यायिक तथा वैधानिक दायित्व तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हैं।

1.2 राज्य आयोगों की स्थापना का उद्देश्य :

विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने तथा सरकारी तन्त्र से विनियामक आयोगों के विनियामक दायित्व के निर्वहन में दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से देश में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सभी राज्यों के लिए एक विस्तृत तथा समान विनियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंजीकरण की नितान्त आवश्यकता थी। इसके साथ ही इसमें खुली पहुँच तथा विपणन हेतु नवीन अवधारणा विकसित करना भी शामिल था। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य निवेश सुविधाएं प्रोत्साहित तथा उपलब्ध करवा कर विद्युत क्षेत्र का वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार विकास करना है ताकि विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर गुणात्मक विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके। विद्युत अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नीतियों के दृष्टिगत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

1.3 राज्य आयोग के कार्य

आयोग का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा आपूर्ति के लिए शुल्क निर्धारण करना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि विद्युत क्षेत्र में निवेश, प्रतिस्पर्धा तथा कार्यकुशलता प्रोत्साहित करने के साथ–साथ शुल्क, सेवा की गुणवत्ता तथा प्रभावी शिकायत निवारण सहित उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) के अधीन राज्य आयोग को निम्नलिखित अनिवार्य कार्य सौंपे गए है :–

- राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग हेतु बहुल, थोक अथवा खुदरा, यथास्थिति, शुल्क निर्धारित करना :
- यह उपबन्धित है कि जहां धारा 42 के अधीन किसी उपभोक्ता वर्ग को खुली पहुँच की अनुमति प्रदान की गई हो, ऐसी स्थिति में राज्य आयोग उपभोक्ता के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में केवल व्हीलिंग प्रभार तथा उस पर लगने वाला प्रभार, यदि कोई हो, का ही निर्धारण करेगा।
- वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत क्रय एवं प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करना जिसमें वह कीमत भी शामिल है जिस पर अनुबन्ध द्वारा उत्पादक कम्पनियों अथवा लाइसेंसधारियों अथवा अन्य स्त्रोतों से राज्य के भीतर वितरण एवं आपूर्ति हेतु विद्युत प्रापण किया जाएगा।
- राज्य के भीतर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना जो संचारण, वितरण लाइसेंसधारी व विद्युत व्यापारी के रूप में प्रदेश के भीतर प्रचालन में इच्छा रखते हों।
- ग्रिड से जोड़ने के लिए व किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय हेतु समुचित उपाय उपलब्ध करवाकर नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन एवं सहउत्पादन प्रोत्साहित करना तथा इसके साथ ही ऐसे स्त्रोतों से बिजली क्रय करने हेतु वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली कुल बिजली की प्रतिशतता निर्धारित करना।
- लाइसेंसधारियों व उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवादों का निर्णय करना, किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना।
- अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क लगाना ।
- धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करना।
- लइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता के मानक तय करना अथवा उन्हें लागू करना।
- यदि आवश्यक हो तो, राज्य के भीतर व्यापार में व्यापारिक मार्जिन निर्धारित करना।
- ऐसे सभी अन्य कार्यों का निवर्हन जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे सौंपे जाए।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) के अधीन राज्य सरकार को निम्नलिखित अथवा किसी अन्य विषय में परामर्श प्रदान कर सकता है :–

(i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना।

(ii) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना।

(iii) राजय में विद्युत उद्योग की पुर्नसंरचना तथा पुर्नसंगठन।

(iv) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण व व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धित सभी मामले जो कि राज्य सरकार, द्वारा आयोग को भेजे जाएं।

अध्याय–2

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

2.1 आयोग की संरचना

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एक निगमित निकाय है, जिसका गठन विद्युत विनियामक अधिनियम, 1998(1998 का 14वां)के अधीन 31.12.2000 में किया गया था तथा आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को शिमला स्थित मुख्यालय से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82, 1998 के अधिनियम के अनुसार विद्युत विनियामक आयोग, 2003 के अधिनियम के प्रयोजन हेतु राज्य आयोग के रूप में कार्य करेगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(4) के अनुसार राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम् तीन सदस्य होंगे। राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके न्यायाधीश होंगे तथा सम्बंधित राज्य के मुख्य सचिव तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष इसके अन्य सदस्य होंगे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगा।

राज्य आयोग में इस समय केवल एक ही सदस्य है, श्री एस. एस. गुप्ता दिनांक 06–01–2001 से 05–01–2006 की अवधि के दौरान इसके पहले अध्यक्ष रहें, तत्पश्चात श्री योगेश खन्ना 31–01–2006 से 29–01–2011 तक इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहें। इस समय श्री सुभाष चन्द्र नेगी दिनांक 01–02–2011 से इस पद पर कार्य कर रहें हैं।

2.2 संगठनात्मक संरचना

2.2.1 बहुआयामी कार्यदल :

विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित आयोग के कार्यों के स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके सदस्यों तथा कर्मचारियों के पास विविध ज्ञान तथा अनुभव होना वांछित है जैसा कि राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए निर्धारित किया गया है। योग्यताओं से स्पष्ट है, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति की योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, जिसमें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि अथवा प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याओं से निपटने की क्षमता के पर्याप्त ज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुसार आयोग के पास अधिकारियों का एक छोटा सा दल है जिसकी विविध व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, इन में से अधिकतर लोगों को सेकिन्डमेन्ट आधार पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें प्रशासनिक, सचिवालय तथा समर्थन कर्मचारी वर्ग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछेक मामलों में आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के

अधीन परामर्शदाताओं की सेवाएं भी प्राप्त की जा रही है, कार्यालय सुरक्षा, स्वागत, कार्यालय सहायता, स्वच्छता आदि कुछ अन्य कार्यों के लिए भी बाह्य स्त्रोतों से सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

2.2.2 स्वीकृत संख्या :

पदों की संख्या, उनका स्वरूप, वेतन तथा भत्ते, अन्य सेवा शर्ते आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 46 है जिन पर वर्ष के दौरान 24 व्यक्ति कार्यरत रहें। लगातार प्रयत्न किए जाने के बावजूद आयोग इन पदों को भरने में असमर्थ रहा जिसका कारण सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान न किया जाना तथा / अथवा सेकिन्डमेन्ट आधार पर नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध न होना है।

2.3 संरचना :

आयोग का शिमला में एक मात्र कार्यालय है, संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित की जा रही है :–

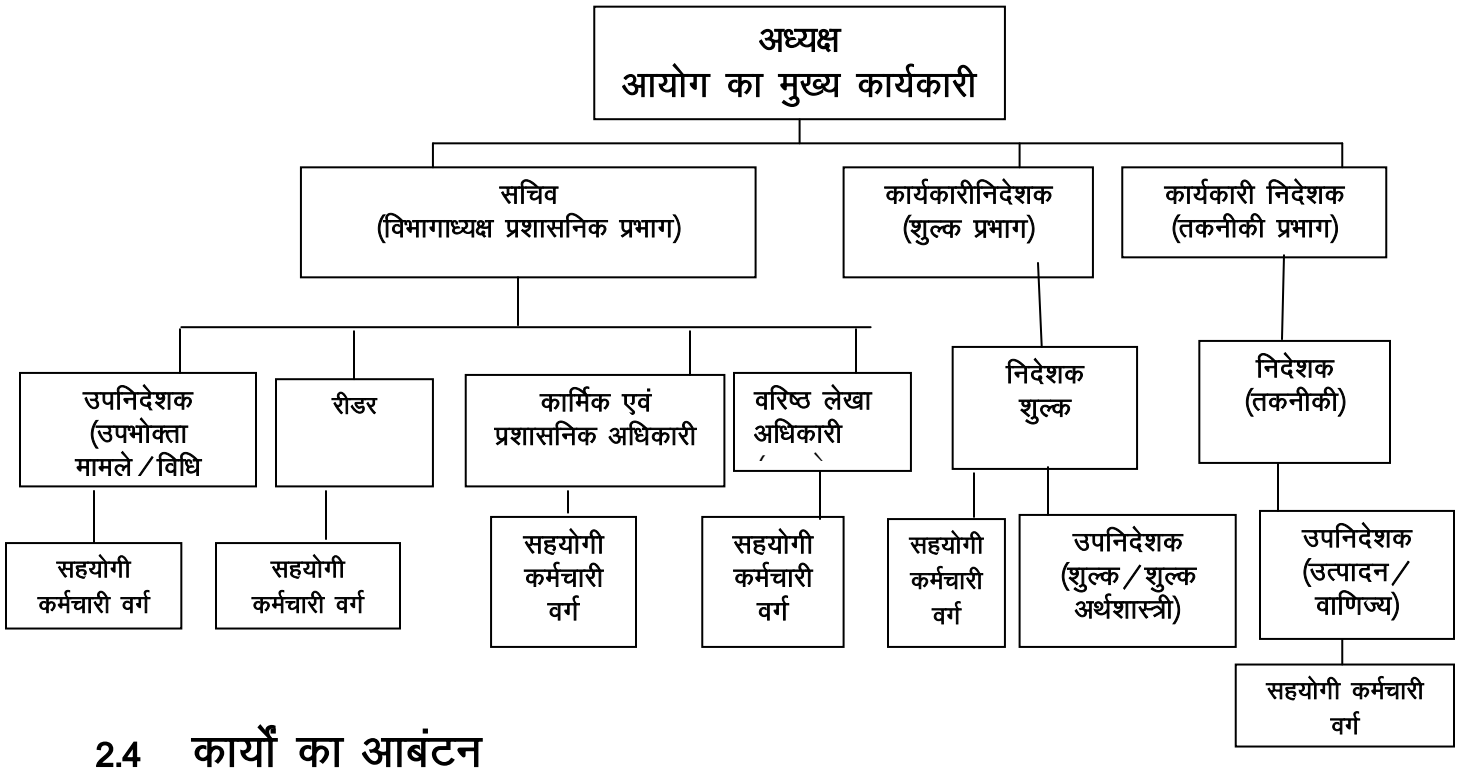

2.4 कार्यों का आबंटन

आयोग का कार्यालय शिमला में स्थित है। अध्यक्ष, आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक, तकनीकी तथा शुल्क नामक तीन प्रभाग हैं। आयोग के विभिन्न कार्य इन प्रभागों तथा उनके प्रमुखो को सौंपे गये हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है :–

2.4.1 प्रशासनिक प्रभाग

यह प्रभाग आयोग के सचिव के अधीन कार्य करता है जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके द्वारा प्रशासनिक, वित्त तथा विवि मामलें, कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में आयोग को विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है, इसके साथ ही इनके द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच सम्पर्क तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य भी किया जाता है, इसके अतिरिक्त, संगठन, बज़ट, क्रय एवं प्रापण, रख–रखाव, देखभाल, कार्मिक, प्रबन्धन, विधि तथा न्यायालय सम्बन्धी मामले, प्रशिक्षण एवं मूल्याकंन आदि महत्वपूर्ण कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं।

- **सचिव**

सचिव, आयोग के प्रशासनिक एवं सचिवालय प्रभाग के प्रमुख हैं। वह आयोग, इसकी विभिन्न शाखाओं, केन्द्रीय एवं राज्य की संस्थाओं तथा लाभार्थियों के मध्य सेतु का कार्य करता है। वह आयोग की नीति तथा प्रशासन से सम्बंधित सभी मामलों में परामर्श प्रदान करता है। सचिव द्वारा, विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन किया जाता है :–

1. आयोग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना तथा मौलिक एवं पूरक नियमों, हिमाचल प्रदेश वित्त नियम तथा आयोग द्वारा अपनाए गये अन्य नागरिक सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप अन्य कार्य करना।
2. राज्य सलाहकार समिति की समय–समय आयोजित की जाने वाली बैठकों में पदेन सचिव के रूप में कार्य करना।
3. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनयामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन कार्य करना, यथा :–

(क) आयोग से सम्बन्धित सभी याचिकाओं, आवेदनों, अन्य अभिवचनों तथा संदर्भों को प्राप्त करना अथवा करवाना।

(ख) आयोग के समक्ष किये गए ऐसे सभी अभिवचनो का सक्षेप तथा सारांश तैयार करना अथवा करवाना।

(ग) आयोग द्वारा संचारित कार्यवाहियों में सहयोग देना।

(घ) आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करना।

(ड.) आयोग द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना सुनिश्चि करना।

(च) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा उनके अभिकरणों, राज्य विद्युत बोर्डों अथवा अन्य कार्यालयों, कम्पनियों तथा फर्मों अथवा अन्य किसी व्यक्ति से, ऐसी सूचना जिसे आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निवर्हन के प्रयोजन हेतु उपयोगी समझा जाता हो, को एकत्र करना अथवा करवाना।

(छ) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विद्युत अधिकरण, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैधानिक अधिसूचनाओं, नियमों, आदेशों एवं निर्देशों की प्रतियां रखना।

(ज) विनियमों, वैधानिक अधिसूचनों, आदेशों की अधिप्रमाणित प्रतियों का कालानुक्रमिक संग्रहण करना तथा उनसे सम्बंधित विशिष्टियां एवं विवरण का रजिस्टर रखना।

(झ) आयोग द्वारा जारी सभी आदेशों निर्देशों तथा विनियमों को आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना।

(ञ) आयोग की ओर से समनो की तामील स्वीकार करना तथा इसके साथ ही वाद पत्रों तथा प्रतिपादनों पर हस्ताक्षर करना तथा उनका सत्यापन करना।

4. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों में उचित व्यवहार व अनुशासन सुनिश्चित करना।
5. शिकायत निवारण तथा उपभोक्ता शिकायतों का निवारण।
6. विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विनियम के अधीन सौंपे गये अन्य किन्ही कार्यों का निवर्हन करना।
7. आयोग द्वारा प्रायोजित तथा सौंपे गये अन्य कोई भी कार्य।

2.4.2 तकनीकी प्रभाग :

यह प्रभाग, विनियामक मामलें, जिसके अन्तर्गत विनियम बनाना, ग्रिडकोड, वितरण कोड, आपूर्ति कोर्ड आदि शामिल है, तथा एतद् सम्बन्धी अन्य कार्य, लागत आबंटन तथा दर डिजाईन प्रस्ताव, टी एण्ड डी तथा एटी एण्डी सी क्षतियों का विश्लेषण एवं मूल्याकंन, तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानको का मूल्यांकन, लोड फोर कास्ट, विद्युत क्रय अनुबन्ध आदि विषयों को देखता है। कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं जो मुख्य अभियन्ता (विद्युत) स्तर के अधिकारी हैं। इनकी सहायता के लिए एक निदेशक (तकनीकी) हैं जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर के अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त इस प्रमाग में दो उप–निदेशक तथा सहयोगी कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

1. आयोग को इंजीनियरिंग, आर्थिक तथा नीति विश्लेषण सम्बन्धी अन्य तकनीकी तत्वों के बारे परामर्श प्रदान करना।
2. प्रस्तुत किए गये साक्ष्य के तकनीकी पहलुओं को समझना एवं उनका विश्लेषण करना तथा आयोग के आदेशों को लिखित रूप देने में सहायता प्रदान करना।
3. लागत आबंटन तथा दर डिजाईंन प्रस्तावों सम्बन्धी विशेष कार्य करना, उपयोगिता योजना तथा संचालन निणर्यों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन, मुख्य उपयोगिता निर्माण परियोजनाओं के रेखांको तथा विवरणों की समीक्षा, कार्य स्थल पर निरीक्षण प्रणाली में सुधार लाना, उपयोगिता रिपोंर्टो की संवीक्षा तथा तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन कारना।
4. विद्युत क्रय अनुबन्धों का निरीक्षण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन।

5. संचारण लाइसेंस, वितरण लाइसेंस तथा विद्युत व्यपारियों द्वारा राज्य के भीतर कार्य करने के सम्बन्ध में इच्छुक लोगो को लाइसेंस जारी करने में आयोग को सहयोग प्रदान करना
6. समस्त निवेश कार्यक्रमों, तकनीकी मानको एवं प्रक्रियाओ, ग्रिड एवं वितरण कोडो, सेवा मानको, वित्तीय एवं आर्थिक मानकों, तकनीकी निरीक्षण एवं संग्रहण, तकनीकी आंकड़ो के संकलन तथा विश्लेषण का पुनरीक्षण तथा अनुमोदन।
7. विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन सभी सम्बन्धित विनियमों को तैयार करना तथा उनका पुनरीक्षण करना।
8. संचारण सुविधा तथा विद्युत वितरण से सम्बन्धित अन्तराज्यीय तथा अन्तर प्रदेशीय मामलों तथा संचारण सुविधाओं एवं विद्युत वितरण सम्बन्धी अन्य मामले।
9. खुली पहुँच के कार्यान्वयन हेतु सुविधाएं प्रदान करना/ संवीक्षा।
10. ग्रिड संयोजन के उपर्युक्त उपाय उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन तथा सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसी व्यक्ति को विद्युत बेचने के साथ–साथ वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में विद्युत की खपत को विनिर्दिष्ट करना।
11. आयोग द्वारा सौंपे गये कोई अन्य कत्तर्व्य।

2.4.3 शुल्क प्रभाग :

यह प्रभाग, विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण, दीर्घकालीन शुल्क विन्यास योजना, शुल्क प्रक्रिया हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं आर्थिक निवेश उपलब्ध कराना, युटिलिटीज के आर्थिक निष्पादन तथा अनुपालना रिपोर्ट की संवीक्षा सहित युटिलिटीज के शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्य करता है। कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं जो मुख्य अभियन्ता (विद्युत) स्तर के अधिकारी हैं। इन्हे एक निदेशक (शुल्क) की सहायता प्राप्त है, जो अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, इसके साथ ही इस प्रभाग में दो उपनिदेशक एवं सहायक कर्मचारी वर्ग भी कार्य कर रहे हैं।

कार्यकारी निदेशक (शुल्क)

1. शुल्क विनियम तैयार करना तथा राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग, थोक, बहुल अथवा खुदरा, यथास्थिति के सम्बन्ध में शुल्क निर्धारित करना।
2. राष्ट्रीय विद्युत नीति योजना तथा राज्य विद्युत नीति, यदि सरकार द्वारा कोई प्रकाशित की गई हो के अनुरूप शुल्क सम्बन्धी मामलों का निर्धारण।
3. आयोग को पूंजी लागत, पूंजी लागत दर, आधार लागत, राजस्व, व्यय, मूल्यह्रास तथा शुल्क डिजाईन आदि के सम्बन्ध में साक्ष्य तथा अन्य सामग्री तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
4. लेखांकन तथा वित्त सम्बन्धी मामलो में जिरह के लिए प्रश्न तैयार करने, सीधे साक्ष्य प्रस्तुत करने, दर वाद प्रदर्श मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के साथ–साथ आयोग को वित्तीय तथा आर्थिक मामलो में परामर्श प्रदान करना।

5. युटिलिटीज़ के विकास तथा सभी प्रकार के निवेशों का पुनरीक्षण तथा अनुमोदन।
6. युटिलिटीज़ द्वारा प्रस्तुत मुख्य घटनाओं, वित्तीय निष्पादन तथा अनुपालना रिपोर्टों की संवीक्षा भी करना।
7. टी एण्ड डी, एटी एण्ड सी क्षतियों की पुनरीक्षण तथा अनुपालना।
8. निष्पादन के मानकों की संवीक्षा।
9. आयोग द्वारा सौंपे गये कोई अन्य दायित्व।

अध्याय–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उतरदायित्व के माध्यम शामिल हैं

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा आयोग को मुख्य रूप से विभिन्न विनियम बनाने, इन विनियमों के अन्तर्गत आदेश जारी करने तथा समय–समय पर इसके समक्ष दायर की गई याचिकाओं को निपटाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उपरोक्त दायित्वों के निवर्हन के दौरान आयोग, अधिनियम/नियम/विनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/विनियमों के फोरम, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण/ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा शुल्क नीति एवं विद्युत नीति आदि को ध्यान में रखते अपना निर्णय देता है। आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के अध्याय–II में विनिर्दिष्ट की गई है। आयोग अर्द्ध न्यायिक मामलों में स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेता है तथा जहां तकनीकी सहायता की आवश्यकता समझी जाती है वहां आयोग अपने तकनीकी दल तथा उसके द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं से परामर्श लेकर अपना निर्णय देता है। जहां तक आन्तरिक निर्णय करने का सम्बन्ध है, इसके लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने कत्तव्यों/कार्यों के निवर्हन हेतु खड़ी रिपोर्टिग पद्वति अपनाई जाती है तथा मुख्य निर्णय आयोग के स्तर पर लिए जाते हैं। तथापि नैत्यिक निर्णय, नियमों, विनियमों तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं।

आयोग अपने कार्य का संचालन, प्रशासन, वित एवं विधि प्रभाग, तकनीकी विश्लेषण प्रभाग तथा शुल्क एवं वित्तीय विश्लेषण प्रभाग के माध्यम से करता है। उपरोक्त तीनों प्रभाग क्रमशः सचिव, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) तथा कार्यकारी निदेशक (शुल्क) के अधीन कार्य करते हैं। सम्बन्धित प्रभागों के मामले उन प्रभागों में कार्यरत सहायक कर्मचारियों द्वारा विचारित किए जाते हैं जो शाखा के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार सभी प्रभागों के प्रमुख दस्तावेज तथा रिर्पोट, अध्यक्ष/आयोग को प्रस्तुत करते हैं। राज्य आयोग अपनी शक्तियों तथा कत्तव्यों का निवर्हन करते हुए यह सुनिश्चत करता है कि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सुनवाई सहित प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों को अपनाते हुए निर्णय लेते समय पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाए।

अध्याय–4

आयोग के कृत्यों के निवर्हन हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड

आयोग की कार्य प्रणाली विद्युत अधिनियम, 2003 तथा सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा राज्य की नितियों के अधीन विनियमित होती है। कुछेक मुख्य क्षेत्रों में विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन शुल्क निर्धारण तथा लाईसेंस जारी करने जैसे मुख्य कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। शुल्क निर्धारण अथवा एतद् सम्बन्धी सभी मामलो का निपटारा भी अधिनियम में विनिर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति से 120 दिन की अवधि के भीतर निपटाए जाने अपेक्षित हैं। तथापि यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में प्राकृतिक न्याय की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकारी विभागों के लिए कार्यालय नियमावली में विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु विहित मानक आयोग द्वारा भी अपनाए जा रहे हैं। जहां तक विभिन्न व्यय स्वीकृति सम्बन्धी मानकों का सम्बन्ध है, आयोग द्वारा निधि नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत वित्तीय प्रक्रिया/प्रत्यायोजन के आधार पर आयोग, अध्यक्ष, सचिव तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी को विभिन्न प्रकार के व्यय स्वीकृत करने सम्बन्धी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अध्याय–5

योजनाएं, प्रस्तावित व्यय तथा किए गये संवितरणों को उपदर्शित करते हुए बज़ट विवरण :

आयोग, वेतन एवं भतों के भुगतान हेतु राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बज़ट प्राप्त करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग को मुख्य लेखा शीर्ष 2801–80–800–01– SOON –41 गैर योजना के अधीन 90.00 लाख रूपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। आयोग द्वारा बजट का आबंटन आगे नहीं किया जाता क्योंकि इसका कोई भी अधीनस्थ कार्यालय नहीं है आयोग की सभी प्रकार की प्राप्तियां तथा भुगतान अपनी निधि से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः MPP-A (3) -7/2004 दिनांक 03–05–2007 के अधीन विनियमित होती है। आयोग के वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखे निधि नियमों में विहित प्रपत्र पर तैयार किए गये हैं। आयोग के लेखे प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा, आय तथा व्यय लेखा तथा तुलन पत्र के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।

आयोग की वर्ष 2013–14 वित्त वर्ष की कुल आय 472.15 लाख रूपये आंकी गई है। सम्बन्धित वर्ष के दौरान 329.25 लाख रूपये का व्यय हुआ इस प्रकार 31.03.2014 वर्ष को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आय तथा व्यय लेखा के अनुसार 142.90 लाख रूपये का अधिक्य हुआ।

5.1 आयोग की वित्तीय स्थिति :

आयोग की 31.03.2014 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

			लाख रूपयों में
दायित्व		**परिसम्पतियां**	
विवरण	**राशि**	**विवरण**	**राशि**
समूह निधि	1830.75	जमा परिसम्पतियां	23.77
वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	62.16	बैंक में सावधि प्राप्तियां	1296.62
		अन्य वर्तमान परिसम्पनियां तथा अग्रिम	360.57
		हिमुडा को कार्यालय भवन निर्माण हेतु अग्रिम	200.00
		प्रतिभूति राशि	0.57
		नगदी तथा बैक शेष	11.38
योग	**1892.91**		**1892.91**

5.2 आयोग के लेखों को विधान सभा में प्रस्तुत करना :

आयोग के वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखे निधि नियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित लेखे तथा एतद् सम्बन्धी लेखा रिपार्ट विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य सरकार को भेजी गई जैसा कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग निधि नियमों के नियम 7(4) द्वारा वांछित है।

अध्याय–6
आयोग की वर्ष के दौरान गतिविधियां का संक्षिप्त विवरण

आयोग के विधि प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईः–

6.1 राज्य आयोग, माननीय उच्च न्यायालय, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विवाद अधिनिर्णय।

आयोग के विनियमों को अन्तिम रूप देने तथा न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तरों की जांच किए जाने के दौरान आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी उच्च तााि सर्वोच्च न्यायलय, विद्युत अपीजीय न्यायाधिकरण में कार्यरत अपनी अधिवक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए विधि सम्बन्धी टिप्पणियां तैयार करने, याचिकाओं/ प्रतिशपथ–पत्र को तैयार तथा दायर करने सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त आयोग को लम्बित मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाने के साथ ही आवश्यकतानुसार विधि परामर्श प्रदान अथवा प्राप्त करने सम्बन्धी कार्य भी करते हैं। न्यायालयों, न्यायाधिकरण तथा आयोग के समक्ष लम्बित तथा निर्णीत याचिकाओं/दायर अपीलों का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

न्यायालय मामलों का संक्षिप्त विवरण

I माननीय सर्वोचच न्यायालय के समक्ष मामलों का विवरण

क्र०सं०	31.03.2013 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गये मामले	31.03.2014 तक लम्बित मामले	टिप्पणी
01	01	शून्य	01	शून्य	01	

II माननीय अपीलीय प्रतकरण नई दिल्ली के समक्ष मामलों का विवरण

क्र०सं०	31.03.2013 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गये मामले	31.03.2014 तक लम्बित मामले	टिप्पणी
01	04	03	07	04	03	

III माननीय उच्च न्यायालय हि०प्र० शिमला के समक्ष मामलों का विवरण

क्र०सं०	31.03.2013 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गये मामले	31.03.2014 तक लम्बित मामले	टिप्पणी
01	19	03	22	14	08	

IV शिमला स्थित आयोग के समक्ष मामलों का विवरण

क्र०सं०	31.03.2013 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गये मामले	31.03.2014 तक लम्बित मामले	टिप्पणी
01	14	57	71	51	20	

6.1.1 अनिनिर्णय– आयोग के शिमला स्थित कार्यालय में मामले

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा याचिकाओं, उत्तरों, प्रत्युत्तरों तथा आपत्तियों का परीक्षण तथा छानबीन की जाती है। वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विभिन्न याचिकादात्ताओं तथा लाभार्थियों से 57 याचिकाएं प्राप्त हुई जिन में से 51 याचिकाओं का आयोग द्वारा निपटान/निणर्य प्रदान किया गया तथा 31.03.2014 तक 20 याचिकाएं निर्णय हेतु लम्बित पड़ हैं।

1.1 निर्णीय तथा लम्बित याचिकाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र० सं०	याचिका संख्या	वादी/ याचिकादात्ता	प्रतिवादी/ प्रत्यार्थी	मामलों का विवरण	प्राप्ति की तिथि	अन्तिम निर्णय
1	याचिका संख्या 176 / 2012	हिमाचल प्रदेश राजय विद्युत बोर्ड लिमिटेड	–	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62,64 तथा 86 के अधीन याचिका	31.11.2012	26.04.2013
2	172/2012	उपरोक्त	–	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियायक आयोग विद्युत्त आपूर्ति विनियम, 2012, निनियम, 14 के अधीन सेवा संयोजन प्रभार हेतु प्रस्ताव	24.11.2012	30.04.2013
3	स्वतः संख्या 69/2013	–	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	याचिका संख्या 172/2012 के सम्बन्ध में दिनांक 30–04–2013 को	–	04.05.2013

				पारित आदेश में मुद्रण अशुद्धि संशोधन		
4	याचिका संख्या 31 / 2013	मैसर्ज श्री भवानी पॉवर प्रोजेक्ट	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत अधिनियम की धारा 61,86,94 के साथ पठित के विनियम 12 तथा 50 के अधीन प्रतिादी को पी पी ए की शर्तों के अनुसार 1.5% प्रति माह की दर से दण्ड की आयगी सम्बन्धी निर्देश	02.03.2013	04.05.2013
5	याचिका संख्या 178 / 2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड मैसर्ज योगिन्दर पॉवर	–	बनेर संगम जलविद्युत परियोजना(5मे.वा.) पी पी ए के सम्बन्ध में संयुक्त याचिका	10.12.2012	09.05.2013
6	याचिका संख्या 63 / 2012	मैसर्ज़ सांई इंजीनियरिंग फांउडेशन	हिमाचल प्रदेश राजय विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के अधीन संशोधन याचिका	30.03.2012	25.05.2013
7	याचिका संख्या 123 / 2011 के सम्बन्ध में संशोधन याचिका संख्या 55 / 2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	–	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2005 के विनियम 63 के साथ दिनांक 05–01–2013 के आदेशों के सम्बनध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 के अधीन संशोधन याचिका	05.04.2013	23.05.2013
8	याचिका संख्या 13 / 2013	मैसर्ज़ हिमाचलयन क्रेस्ट (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के पी पी ए आदेश दिनांक 30. 03.2000 के कार्यान्वयन हेतु याचिका	16.02.2013	27.05.2013
9.	याचिका संख्या	मैसर्ज हिमालयन	हिमाचल प्रदेश राज्य	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक	16.02.2013	27.05.2013

	14 / 2013	क्रेस्ट (प्रा०) लिमिटेड	विद्युत बोर्ड लिमिटेड	आयोग के पी पी ए आदेश दिनांक 30. 03.2000 के कार्यान्वयन हेतु याचिका		
10.	याचिका संख्या 15 / 2013	मैसर्ज हिमालयन क्रेस्ट (प्रा०) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	–यथोपरि–	16.02.2013	27.05.2013
11.	याचिका संख्या 20 / 2013	मैसर्ज़ बरोट हाईड्रोपॉवर	–यथोपरि–	(CBR) विनियम, 2005 के विनियम 63 कि साथ गठित सी पी सी आदेश 47 नियम, 1 के अधीन दिनांक 5.05. 2012 को पारित आदेश में संशोधन हेतु विद्युत अधिनियम की धारा 94 (1) (एफ) के अधीन याचिका	23.02.2013	18.06.2013
12.	यचिका संख्या 76 / 12 में एम ए संख्या 63 / 13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड़	–यथोपरि–	वित्त वर्ष 2013–14 के लिए औसत एकीकृत क्रय मूल्य निर्धारण	16.04.2013	18.06.2013
13.	याचिका संख्या 245 / 10 में एम ए संख्या 90 / 2013	एच पी पी टी सी एल	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	एच पी पी टी सी एल के शुल्क आदेश दिनांक 14.07.2011 के सम्बन्ध में संचार लाईन बार अनुमत्त अवमूलयन का विवरण	23.05.2013	22.06.2013
14.	याचिका संख्या 58 / 2013	मैसर्ज वामशी इन्डस्ट्रीज पॉवर लिमिटेड	–यथोपरि–	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2007, अन्तः संयोजन हेतु रख–रखाव सुविधा प्रभार सहित पठित विद्युत अधिनियम की धारा 86,94 के अधीन याचिका	08.04.2013	22.06.2013
15.	याचिका	मैसर्ज़ के के	–यथोपरि–	हिमाचल प्रदेश	27.07.2012	05.07.2013

	संख्या 6 / 2011	के हाइड्रो पॉवर		विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसैंसी द्वारा विद्युत क्रय नवीकरण एवं संयुक्त उत्पादन सुविधाएं प्रभार विनियम, 2007 विद्युत अधिनियम की धारा 86, के अधीन याचिका		
16.	याचिका संख्या 118 / 2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ के के के हाइड्रो पॉवर	(CBR) 2005 के विनियम 68,69,70 तथा 71 के अधीन अधिकारों के उल्लंघन हेतु याचिका	27.07.2012	05.07.2013
17.	स्वतः 93 (ए) 2013	स्वतः	–	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (आर पी पी ओ तथा इसकी अनुपालना) विनियम, 2010	20.06.2013	29.07.2013
18.	याचिका संख्या 91 / 2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्ज उसाका हा	–	विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (बी) के अधीन आर ई सी मैकानिज़म के अधीन विद्युत क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में संयुक्त याचिका	18.06.2013	07.08.2013
19.	याचिका संख्या 125 / 2012	मैसर्ज़ जी पी आई टैक्सटाईल	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य	दिनांक 29.08.2009 के आदेश की अनुपालन न करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध शिकायत	14.08.2012	19.08.2013
20.	स्वतः संख्या 68 / 2013	–	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत खपत पर अतिरिक्त नगर पालिका कर की उगही	23.04.2013	22.08.2013
21.	याचिका संख्या 164 / 2012	मैसर्ज़ एच. एम. स्टील लिमिटेड	–यथोपरि–	सी बी आर के विनियम, 52 तथा विद्युत अधिनियम के अधिनियम 142 के	31.10.2012	24.08.2013

				अधीन प्रतिवादी को लोड शैडिंग निष्पादन पद्वति में सुधार लाने हेतु निर्देश देना		
22.	याचिका संख्या 181/2012	मैसर्ज़ अदित्य इन्ड्रस्ट्रीज़	–यथोपरि–	सी ई ए (निर्देश) विनियम 2006 के साथ के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 55 की धारा 86,94 (3) के अधीन याचिका	17.12.2012	24.08.2013
23.	याचिका संख्या 145/2012	मैसर्ज़ लेन्को हाईड्रो पॉवर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 06.12.2010 के सम्बन्ध में आपूर्ति नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन	28.09.2012	31.08.2013
24.	याचिका संख्या 146/2012	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–
25.	याचिका संख्या 97/2013	मैसर्ज. गिन्नी गलोबल लिमिटेड	–यथोपरि–	दिनांक 07.06.2011 के विद्युत क्रय अनुबन्ध से सम्बन्धित 5 मे. वा. एच ई पी के शुल्क पुननिर्धारण की समीक्षा	28.06.2013	31.08.2013
26.	याचिका संख्या 118/2011	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	–यथोपरि–	(CBR) 2005 MYT विनियम 63 आदेश वासपा–II के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 94 (1) के अधीन स्पष्टीकरण याचिका	01.10.2013	19.09.2013
27.	याचिका संख्या 108/2013	मैसर्ज़ बरोट हाइड्रो पॉवर लिमिटेड	–यथोपरि–	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के ैव्च के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने सम्बन्धी मार्गदर्शक निर्देश के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 86 के अधीन	03.08.2013	21.09.2013

				याचिका		
28.	याचिका संख्या 127/2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, मैसर्ज़ साई इंजीनियरिंग एण्ड टौस मिनि हाइड्रो	–यथोपरि–	कम्पनी को क्रय अनुबन्ध का एक भाग बनाए जाने के सम्बन्ध में नाम परिवर्तन हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध हेतु अनुमोदन	30.09.2013	31.10.2013
29.	याचिका संख्या 176/12 की पुनर्विचार याचिका संख्या 99/13	मैसर्ज़	–यथोपरि–	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 2005 की धारा 94 (1) के अधीन दिनांक 27.04.2013 के शुल्क आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका	05.07.2013	31.11.2013
30.	याचिका संख्या 170/2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड		SOP हेतु प्रतिभूति राशि में विनियम 4 (4) के अधीन बाधाओं का निराकरण	20.11.2012	19.11.2013
31.	याचिका संख्य 86/2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं भवानी नवीकरणीय ऊर्जा (प्रा०) लिमिटेड		बिनावा जल विद्युत परियोजना (4 मे.वा.) के सम्बन्ध में विद्युत क्रय अनुबन्ध हेतु संयुक्त याचिका	20.05.2013	21.11.2013
32.	याचिका संख्य 89/2013	मैसर्ज़ एन एस एल मसली पॉवर	हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	(CBR) 2005 के विनियम 12,68 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 86,94 के अधीन याचिका	28.05.2013	14.11.2013
33.	पुनर्विचार याचिका संख्या 88/2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ औरो स्पीनिंग मिल्ज एण्ड अन्य	द्वितीय नियंत्रण अवधि के अधीन वित्त वर्ष 12 तथा APR वित्त वर्ष–14 के शुल्क आदेशों के पुर्नार्विचार हेतु (CBR) 2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत	05.06.2013	26.11.2013

				अधिनियम की धारा 94 (1) के अधीन पुनर्विचार याचिका		
34.	याचिका संख्या 98 / 2013	मैसर्ज़ श्री रामा स्टील लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	SOP के अनुपालन हेतु विद्युत अधिनियम की धारा 142 के अधीन याचिका	29.06.2013	02.012. 2013
35.	याचिका संख्या 116 / 2013	श्री एल. के. महाजन	–यथोपरि–	विद्युत ओमबड्समैन द्वारा 19.10.2012 को जारी आदेशों की अनुपालना न करने के सम्बन्ध में विद्युत अधिनियम की धारा 142 के अधीन शिकायत	04.09.2013	02.12.2013
36.	याचिका संख्या 130 / 2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं पुरी आयल मिल्ज़	.....	बोर्ड द्वारा निष्पादित अन्तः संयोजन पॉईट को स्थानान्तिरित करने सम्बन्धी अनुमोदन हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध की धारा 86 (1) (बी) के अधीन याचिका	07.10.2013	05.12.2013
37.	याचिका संख्या 125 / 2013	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड एवं मैसर्ज़ एलिओ मनाली		पक्षों द्वारा निष्पादित्त विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (वी.) के अधीन संयुक्त याचिका	27.09.2013	05.12.2013
38.	पुनर्विचार याचिका संख्या 135 / 2010	मैसर्ज़ गिनी गलोबल लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	दिनांक 22.05.2010 के आदेश के विरूद्ध नियम 163, आदेश 47 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 94 (एफ) के अधीन पुनर्विचार याचिका	02.07.2010	17.12.2013
39.	पुनर्विचार याचिका संख्या 135 / 2010	मैसर्ज़ हिम कैलाश हाईड्रो पॉवर	–यथोपरि–	याचिका संख्या में दिनांक 18.06.2010 को जारी आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार	13.07.2010	17.12.2013

				करने हेतु		
40.	पुनर्विचार याचिका संख्या 142 / 2010	मैसर्ज़ धर्मशाला हाइड्रो पॉवर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	याचिका संख्या 97 / 08 के सम्बन्ध में दिनांक 05.06. 2010 को जारी आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने हेतु (CBR) 2005 के विनियम 63 के साथ पठित अधिनियम की धारा 94 (एफ)के अधीन याचिका	17.07.201	17.12.2013
41.	याचिका संख्या 143 / 2010	मैसर्ज़ गोथामी हाइड्रो पॉवर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 (पी वी नवीकरण स्त्रोत एवं जिला लाईसेसधारी द्वारा संयुक्त उत्पादन) के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन याचिका	17.07.2010	17.12.2013
42.	याचिका संख्या 175 / 2009	मैसर्ज़ मिणुबिन्दु / एन एस एस एल मसली	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 (पी वी नवीकरण स्त्रोत एवं जिला लाईसेसधारी द्वारा संयुक्त उत्पादन) के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62, के अधीन याचिका	03.11.2009	17.12.2013
43.	याचिका संख्या 57 / 2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	.....	द्वितीय MYT नियंत्रण अवधि के लिए द्वितीय APR में अतिरिक्त प्रस्तुति	05.04.2013	28.12.2013
44.	याचिका संख्या 54 / 201	–यथोपरि–	.....	लघु जल विद्युत परियोजना शुल्क पर पुनर्विचार तथा	03.04.2013	28.12.2013

				डिजायन एनर्जी का पुर्न वैधीकरण		
45.	याचिका संख्या 12 / 2011	मैसर्ज़ फोरसीजन प्राईवेट लिमिटेड	हिमाचल पद्रेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विनियम, 2007 (पी वी नवीकरण स्त्रोत एवं जिला लाईसेसधारी द्वारा संयुक्त उत्पादन) के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62, के अधीन पश्चात् शुल्क पुननिर्धारण पर विचार	03.04.2013	06.03.2014
46.	याचिका संख्या 139 / 2013	हिमालय पॉवर प्रोडयुसर एसोसिएशन	–यथोपरि–	आदेश संख्या 13 के अधीन संचारण / व्हीलिंग / एस डी सी प्रभार (खुली पॅहुच के अधीन क्रास उपदान प्रभार) के पुनर्विचार हेतु याचिका	26.11.2013	06.03.2014
47.	याचिका संख्या 18 / 2013	मैसर्ज़ अम्बूजा सिमिंट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2.5. 2010 को पारित एस टी खुली पँहुच के पुनर्विचार हेतु (CBR) 2005 के विनियम 52 के अधीन याचिका	27.01.2014	04.03.2014
48.	याचिका संख्या 59 / 2013	मैसर्ज़ वामशी हाईड्रो एर्नेजी प्राईवेट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	संचालन एवं संधारण प्रभारों को युक्ति संगत बनाने सम्बन्धी अनुरोध के लिए विनियम 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 86 तथा 94 के अधीन याचिका	08.04.2013	04.03.2014
49.	याचिका संख्या 59 / 2013	मैसर्ज़ योगिन्द्रा पॉवर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	(जिला लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत क्रय तथा संयुक्त उत्पादन) विनियम	27.12.2013	04.03.2014

				2010 तथा 15.12.12 के अनुमोदित को रद् करने हेतु CPC की धारा 151 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 86 तथा 94 के अधीन याचिका		
50.	याचिका संख्या 10 / 2014	मैसर्ज़ कुर्मी एजेंसी (प्रा०) लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	.....	कुर्मी (8 मे. वा.) हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	17.01.2014	23.01.2014
51.	याचिका संख्या 45 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्ज़ कपिल मोहन एण्ड एसोसिएशन	.....	(ब्यास कुण्ड जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में REC) STPPA के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	12.03.2014	23.01.2014

आयोग के समक्ष दिनांक 31.03.2014 तक निपटान हेतु लम्बित मामले

क्र० सं०	याचिका संख्या	वादी / याचिकादात्ता	प्रतिवादी / प्रत्यार्थी	मामलों का विवरण	प्राप्ति की तिथि	अन्तिम निर्णय
1.	पुनर्विचार याचिका 108 / 2010	मैसर्ज़ आशा प्रोजेंक्ट (1) प्रा० लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	दिनांक 22.5.2010 को पारित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु (CBR) 2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 94 (1) (एफ) के अधीन पुनर्विचार याचिक	11.06.2010	निपटान के लिए लम्बित
2.	पुनर्विचार याचिका 121 / 2010	मैसर्ज़ के एस एल हाड्रोवॉट लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	दिनांक 13.05.2010 को परित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु (CBR) 2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 94 (1) (एफ) के	25.06.2010	–यथोपरि–

				अधीन पुनर्विचार याचिक		
3.	पुनर्विचार याचिका 137 / 2010	मैसर्ज़ मंगलम एनर्जी विकास कम्पनी (प्रा) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	दिनांक 08.06.2010 को परित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु (CBR) 2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 94 (1) (एफ) के अधीन पुनर्विचार याचिक	06.07.2010	–यथोपरि–
4.	याचिका संख्या 26 / 2011	मैसज़ सारावाई एन्टरप्ररेनेवर (प्रा) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य	(वितरण लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत क्रय संयुक्त उत्पादन) प्रथम संशोधन 2007के अधीन पश्चात् शुल्क निर्धारण आवेदन के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62 के अधीन याचिका	19.3.2011	–यथोपरि–
5.	पुनर्विचार याचिका 26 / 2011	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ हिम कैलाश एवं अन्य	दिनांक 13.05.2010 को परित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु (विद्युत क्रय एवं वितरण लाईसेंसधारी द्वारा सह उत्पादन के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62,86 तथा 94 के अधीन याचिका	23.01.2014	–यथोपरि–
6.	याचिका संख्या 12 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ गिन्नी गलोबल (प्रा.) लिमिटेड तथा अन्य	–यथोपरि–	23.01.2014	–यथोपरि–
7.	पुनर्विचार याचिका 14 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ गोधामी जल विद्युत तथा अन्य	दिनांक 13.12.2010 को पारित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु (वितरण	23.01.2014	निर्णय के लिए लम्बित

				लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से सह उत्पादन तथा विद्युत क्रय) के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62,86 तथा 94 के अधीन याचिका		
8.	पुनर्विचार याचिका 15 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ नूजी विदुसीड्स प्रा. लिमिटेड एवं अन्य	–यथोपरि–	23.01.2014	–यथोपरि–
9.	पुनर्विचार याचिका 16 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज धर्मशाला हाईड्रोपॉवर एवं अन्य	दिनांक 13.12.2010 को पारित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से सह उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62,86 तथा 94 के अधीन याचिका	23.01.2014	–यथोपरि–
10.	पुनर्विचार याचिका 30 / 2014	–यथोपरि–	मैसर्ज़ हैरीसन कन्सट्रकशन कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड एवं अन्य	दिनांक 10.06.2010 को पारित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से सह उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62,86 तथा 94 के अधीन याचिका	15.03.2014	–यथोपरि–
11.	पुनर्विचार याचिका 62 / 2014	–यथोपरि–	मैसर्ज़ अऐन्टहाईड्रो (प्रा.) लिमिटेड तथा अन्य	दिनांक 22.05.2010 को पारित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा	15.03.2014	–यथोपरि–

				स्त्रोतों से सह उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62,86 तथा 94 के अधीन याचिका		
12.	पुनर्विचार याचिका 64 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्यविद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ पतीकंड़ी कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड तथा अन्य	दिनांक 16.07.2010 को परित आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 62,82, तथा 94 के अधीन याचिका	15.03.2014	–यथोपरि–
13.	याचिका संख्या 129 / 2013	मैसर्ज़ ऊजास एनर्जी लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा अन्य	वित्त वर्ष 2011–12 से वित्त वर्ष 2012–13 के लिए अनिवार्य सता द्वारा सौर आर पी पी ओ पूरा करना तथा ऐसा न करने की स्थिति में दण्ड	07.10.2013	–यथोपरि–
14.	याचिका संख्या 84 / 2012	मैसर्ज़ जी. पी. वी. एल	–यथोपरि–	दिनांक 19.04.2012 के आदेश पर अनुवर्ती कार्यवाही के दृष्टिगत वासपा II से वित्त वर्ष 03–04 से 10–11 तक विद्युत विक्रय शुल्क के सम्बन्ध में ब्याज बकाया राशि को वास्तिविकता के आधार पर आकलन करने हेतु आवेदन	04.05.2012	–यथोपरि–
15.	याचिका संख्या 107 / 2013	मैसज श्री रेडियन्ट सिमिन्ट (प्रा.) लिमिटेड	–यथोपरि–	ओमवड्समैन द्वारा दिनांक 8.5.2013 को परित आदेश की अनुपालन हेतु विद्युत अधिनियम की धारा 142 तथा 146 के अधीन याचिका	30.07.2013	–यथोपरि–
16.	याचिक संख्या 76 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत	.....	दिनांक 10.06.2010, 19.07.2011,19.7.	26.03.2014	–यथोपरि–

		बोर्ड लिमिटेड		2011,24.04.2012 तथा 27.04.2013 द्वारा पारित आदेशों के पुनर्विचार हेतु विनियम (CBR) 2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 94 (1) (एफ) के अधीन अन्तिम टु–अप–याचिका		
17.	याचिक संख्या 3/2014	मैसर्ज़ हिमालयन क्रेस्ट पॉवर (प्रा.) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	चंदनी जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में अनुबन्ध तथा वैधानिक विवाद के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 86 (1) (एफ) के अधीन याचिका		–यथोपरि–
18.	याचिक संख्या 4/2014	मैसर्ज़ हिमालयन क्रेस्ट पॉवर (प्रा.) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	चंदनी जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में अनुबन्ध तथा वैधानिक विवाद के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 86 (1) (एफ) के अधीन याचिका	13.01.2014	निर्णय के लिए लम्बित
19.	यचिका संख्या 5/2014	मैसर्ज़ हिमालयन क्रेस्ट पॉवर (प्रा.) लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	पक्षों के मध्य विवादों के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (एफ) के अधीन याचिका	13.01.2011	निर्णय के लिए लम्बित

सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष लम्बित मामले

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष वर्ष के दौरान लम्बि मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रं सं	सिविल अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	प्रारम्भ की तिथि	टिप्पणी
1.	सिविल अपील संख्या 8768 8/2012 तथा आई ए संख्या 2/2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ जे पी एल एण्ड एन आर	26.11.2012	इस मामले में आयोग पैरवी नहीं कर रहा है।

अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष अपीलों का विवरण :–

वर्ष के आरम्भ में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष 3 अपीले विचाराधीन थी। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन 2 अपीले न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई जिन में से न्यायाधिकरण द्वारा 2 अपीलों का निर्णय/ निपटान किया गया तथा 31.04.2014 तक 3 अपीलें लम्बित पड़ी हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रं सं	अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि	ममले की स्थिति
1.	2013 की अपील संख्या 198 तथा आई ए संख्या 275/2013	मैसर्ज़ के के के हाईड्रो पॉवर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग तथा अन्य	23.08.2013	निपटान हेतु लम्बित
2.	1924/2013 में अपील संख्या 318/2013	मैसर्ज़ बरोट हाईड्रो पॉवर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग	03.10.2013	–यथोपरि–
3.	2014 की अपील संख्या 57	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	–यथोपरि–	07.03.2014	–यथोपरि–

उच्च न्यायालय शिमला के समक्ष याचिकाओ का विवरण :–

वर्ष के आरम्भ में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन थी तथा वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन 3 याचिकाएं दायर की गई जिन में से न्यायालय द्वारा 14 याचिकाओं पर अपना

निर्णय/निपटान किया गया तथा 31.04.2014 तक 8 याचिकाएं लम्बित पड़ी है जिनका विवरण निम्न है :–

क्रं सं	याचिका संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि	टिप्पणी
1.	सिविल याचिका सख्या 2420/2008	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	मैसर्ज़ सुपर प्लेटेक्स	14.05.2009	निपटान हेतु लम्बित
2.	सिविल याचिका संख्या 7939/2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग	24.09.2012	–यथोपरि–
3.	सिविल याचिका संख्या 10556/2012	मैसर्ज़ साहू हाईड्रो पॉवर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग	14.12.2012	–यथोपरि–
4.	सिविल याचिका संख्या 6648/2013	मैसर्ज़ काला अम्ब चैम्बर ऑफ कामर्स	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग	20.08.2013	–यथोपरि–
5.	सिविल याचिका संख्या 6430/2013	श्री मोहिन्दर सिंह	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग	14.10.2013	–यथोपरि–
6.	सिविल याचिका संख्या 1218/2014	मैसर्ज़ अम्बा शक्ति	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग	24.03.2014	–यथोपरि–

6.2 वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान जारी विनियम, संशोधन तथा अधिसूचनाएं

6.2.1. विनियम बनाना तथा विनियम में संशोधन

आयोग द्वारा निम्नलिखित संशोधन विनियम अधिसूचित किए गये :–

01.04.2013 से 31.03.2014 तक विनियम/संशोधन		
क्रम संख्याः	विनियम तथा संशोधन	जारी करने की तिथि
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2013	18.04.2013
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में नामित स्वतन्त्र सदस्यों का वेतन तथा अन्य	29.07.2013

	भत्ते	
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा लगाये जाने वाले प्रभार तथा शुल्क की वसूली (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	01.11.2013
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	01.11.2013
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन हेतु शुल्क निधारण हेतु शर्तें (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013	01.11.2013
6	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति हेतु शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013	01.11.2013
7	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदात्ताओं की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	22.11.2013
8	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2014	10.01.2014

आयोग द्वारा अधिसूचित सभी विनियम आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

6.2.2 कोड तथा मानक

आयोग आपूर्ति एवं वितरण कोडो के कार्यान्वयन की दिशा में सदैव सक्रिया रहा है।

6.2.3 अन्य अधिसूचनाएं/आदेश

वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं/आदेश/अनुमोदन जारी किए गये :–

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच प्रभारों के अधीन संचारण, व्हीलिंग, एस०एस०डी०सी तथा क्रास सबसिडी प्रभारों का निर्धारण) आदेश, 2013 दिनांक 29.05. 2013
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियाम आयोग (विद्युत ओमबड्समैन की नियुक्ति हेतु शर्तें) आदेश 2014 दिनांक 04.01.2014
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ओमबड्समैन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2014 दिनांक 21.01.2014 को निरस्त करने सम्बन्धी अधिसूचना।

6.2.4 विद्युत क्रय अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (क) (विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वितरण लाइसैंसधारी को विद्युत की आपूर्ति) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में निहित प्रावधानों के अधीन शुल्क निर्धारण करना होता है। तद्नुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राज्य के वितरण लाईसैंसधारी होने के नाते विद्युत उत्पादन कम्पनियों के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करना

वांछित है। वर्ष के दौरान प्राप्त विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन तथा आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण विद्युत क्रय अनुबन्ध की सूची नीचे दी जा रही है :–

(क) नवीकरण प्रमाण पत्र तंत्र के अधीन (5 मेगा वॉट) कार्यान्वित विद्युत क्रय अनुबन्ध

क्रम संख्याः	SHEP	संस्थापित क्षमता में वाट में	स्थान/जिला	उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की तिथि
1	सुमन सरबरी	2.5	कुल्लू	मैसर्ज़ असाका हाइड्रो पॉवर लिमिटेड 8/83 बी आनन्द प्राभज़ात इन्डस्ट्रियल एरिया न्यू बेसू कार्यालय नई दिल्ली–51	07.08.2013

(ख) नवीकरण प्रमाण पत्र तंत्र के अधीन (5 से 25 मेगा वॉट) कार्यान्वित विद्युत क्रय अनुबन्ध

क्रम संख्याः	SHEP	संस्थापित क्षमता में वाट में	स्थान/जिला	उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की तिथि
1	कुर्मी	8.00	शिमला	मैसर्ज़ कुर्मी एर्नेजी (प्रा) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय मकान नं0 99 सैक्टर–3, न्यू शिमला–171009	23.01.2014
2	ब्यास कुण्ड	9.00	कुल्लू	मैसर्ज़ कपिल मोहन एण्ड एसोसिएटस हाईड्रो प्रा० लिमिटेड चण्डीगढ़	15.03.2014

(ग) अधिमान्य शुल्क के अधीन विद्युत क्रय अनुबन्ध

क्रम संख्याः	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता में	स्थान/जिला	विद्युत उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की

		वाट में			तिथि
1	एलिओ–II	4.80	कुल्लू	मैसर्ज़ एलिओ हाइड्रो पॉवर लिमिटेड बी–173, सैक्टर–41, नोयडा–201303, एन०सी०आर–दिल्ली	05.12.2013
2	बिनवा– IV	4.00	कांगडा	मैसर्ज़ भवानी रीन्यूवल एनर्जी (प्रा) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय सुंगल इस्टेट ग्राम व डाकघर सुंगल तह0 पालमपुर, जिला कांगड़ा–176061	22.01.2014

6.2.5 दस्तावेजों की जांच/ उन पर टिप्पणियां

सी.ई.आर.सी.एफ.ओ.आर. भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न दस्तावेजों की जांच की गई तथा उन पर अपनी टिप्पणियां/राय प्रदान की गई।

6.2.6 कास्ट डाटा अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तुत ई.ची.वी., एच.वी. तथा एल.टी. उपकरणों सम्बन्धी डाटा बुक की जांच की गई तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.2.7 नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन

नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक, आयोगों द्वारा विनिमय बनाए गयें तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र के लिए रूप रेखा आदेश जारी किए गये। इस आयोग द्वारा भी केन्द्रीय विद्युत विनियामक, आयोग(पुनः संगठनों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निबन्धन और शर्ते) विनिमय, 2010 अपनाए गये। हिमाचल प्रेदश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व तथा इसका अनुपालन) विनिमय, 2010 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2011–12 से 2012–22 के सम्बन्ध में विद्युत लाईसेंसधारी के साथ–साथ बन्द अथवा खुली पहुँच उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं को निम्न तालिका के अनुसार गैर सौर तथा सौर ऊर्जा की मात्रा दायित्व तथा इसका अनुपालना विनिर्दिष्ट किया है।

नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व हेतु न्यूनतम् प्रतिशतता

वर्ष	नवीकरणीय स्त्रोतों से कुल उपयोग की क्रय मार्च (प्रतिशत में ऊर्जा कि० वाट मे	
	कुल नवीकरणीय विद्युत क्रय की प्रतिशतता	कुल क्रय में से नवीकरणीय सौर ऊर्जा क्रय दायित्व की प्रतिशतता
2013–14	10.25	0.25
2014–15	10.25	0.25
2015–16	11.25	0.25
2016–17	12.25	0.25
2017–18	13.50	0.50
2018–19	14.75	0.75
2019–20	16.00	1.00
2020–21	17.50	2.00
2021–22	19.00	3.00

वितरण लाईसेंसधारी द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान नवीकरणीय गैर सौर ऊर्जा क्रय दायित्व प्राप्त किया जा चुका है, तथापि, सिंगरौली सोलर पी वी प्लॉट, जिसके लिए वितरण लाईसेंसधारी किया जा चुका है, से विद्युत उपलब्ध न होने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान नवीकरणीय सौर ऊर्जा दायित्व पूरा नहीं किया जा सका। वितरण लाईसेंसधारी द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान पूरी की गई अनुपालना का विवरण नीचे दिया गया है:–

1	कुल नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व	10.25%
	नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (सौर) की प्रतिशतता	0.25%
	नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (गैर सौर) की प्रतिशतता	10.00%
2	कुल उपलब्धि प्रतिशत में	कुल ऊर्जा खपत की प्रतिशतता 16.79 अथवा नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व लक्ष्य का 168%
	गैर सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (%)	168 (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व का)

	सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (%)	शून्य

आयोग द्वारा उत्तरदायी संस्थाओं, विशेष रूप से राज्य के वितरण लाईसेंसधारी द्वारा की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व की अनुपालना पर निरन्तर संवीक्षा की जा रही है।

6.3 शुल्क सम्बन्धी आदेश

क्रम संख्या	वितरण	जारी करने की तिथी
1	वित्त वर्ष 14 के लिए शुल्क निर्धारण	27.04.2013

वित्त वर्ष 2014 के लिए वितरण व्यवसाय सम्बन्धी अनुमोदित ए.आर.आर. का संक्षिप्त विवरण (करोड़ रूपयों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2014
कुल विद्युत क्रय लागत	2522.66
अपने उत्पादन सहित विद्युत क्रय लागत (बैंक विवरणिका का शुद्ध)	2304.18
पी जी सी आई एल प्रभार(पी टी सी से वसूले गये शुद्ध प्रभार)	199.24
एच पी पी टी एल प्रभार	11.92
यु एल डी सी तथा एस टी खुली पहुँच प्रभार	37.32
क्रय कार्यकुशलता के कारण लागत में कमीः घटाकर	30.00
संचालन एवं रख–रखाव लागत	1148.84
कर्मचारियों पर कुल लागत	1070.06
आर एण्ड एम कास्ट	36.45
कुल ए एण्ड जी कास्ट	42.33
ब्याज तथा वित्तपोषण प्रभार	121.19
अवमूल्यन	109.02
इक्विटि से आय	30.24
सार्वजनिक पारस्परिक क्रिया कार्यक्रम	0.00
गैर शुल्क आयः घटाकर	309.20
पूंजीकरण व्ययः घटाकर	48.05
कर्मचारी व्यय का वितरण हेतु पूंजीकरण	45.00
ए एण्ड जी व्यय का, वितरण हेतु पूंजीकरण	3.05
वित्त वर्ष 2014 के लिए ए आर आर	3574.71

6.4 वेबसाईट

सूचना का अधिकार अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमों के अधीन महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट http://hperc.org में समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में उपभोक्ताओं तथा अन्य लाभार्थियों को सुलभ, विस्तृत प्रचार–प्रसार व पारदर्शिता सहित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

6.5 समाचार पत्र कतरन सेवा

राज्य के भीतर व बाहर विद्युत क्षेत्र में घटित होने वाली अद्यतन गतिविधियों की आयोग को समयक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय में दैनिक समाचार पत्र कतरन सेवा आरम्भ की गई है। इन्हें आयोग के अवलोकनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

6.6 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

6.6.1 उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उप धारा (5) के साथ पठित धारा (8) के अधीन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम के दिशा निर्देश) विनियम, 2003 अधिसूचित किए गये हैं। विनिम 3, के अधीन वितरण लाईसेंसधारी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु कसुम्पटी में एक तीन सदस्यीय फोरम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता, विद्युत आपूर्ति में कमी अथवा दोष, अनुचित व्यापार पद्वति, लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत लाईनों तथा समवर्गी सेवाओं आदि के लिए अधिक प्रभार तथा मूल्य वसूली सम्बन्धी शिकयतों के निवारण हेतु फोरम में शिकायत दायर कर सकता है।

फोरम में कुल तीन सदस्य हैं,जिन में से दो सदस्यों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अपने अधिकारियों में से की जाती है जबकि एक स्वतन्त्र सदस्य आयोग द्वारा नामित किया जाता है।

फोरम के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फोरम के निर्णय के विरूद्ध 40 दिनों की अवधि के भीतर विद्युत ओमबड्मैन के समक्ष अपील दायर कर सकता है। फोरम से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.03.2013 तक 14 शिकायते लम्बित थी तथा वर्ष के दौरान 47 शिकायतें प्राप्त हुई तथा वर्ष के दौरान 44 शिकायतों का निपटारा किया गया, 31 मार्च, 2013 तक 17 शिकयतें लम्बित थी।

6.6.2 विद्युत ओमड्समैन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का फोरम द्वारा निवारण न किए जाने अथवा उपभोक्ता फोरम

द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्ध उपभोक्ता अपना प्रतिवेदन विद्युत ओमबड्समैन को प्रस्तुत कर सकता है तथा विद्युत ओमबड्समैन शिकायतों पर सहमति, समझौता अथवा मध्यस्थता अथवा विनियमों के अनुसार निर्णय देकर मामलों का निपटारा कर सकता है। ओमबड्समैन को उक्त विनियम की धारा 11, 12 तथा 13 के अधीन विवादों की सहमति व अधिनिर्णय देकर उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई है। विद्युत ओमबड्समैन को प्रस्तुत किसी भी शिकयत के सम्बन्ध में इसकी प्राप्ति की तिथि से तीन मास की अवधि के अन्दर अपना अधिनिर्णय देना होगा तथा उसका अधिनिर्णय दोनो पक्षों को 30 दिन की अवधि के भीतर स्वीकार करना आवश्यक होगा। किसी अधिनिर्णय, अनुबन्ध तथा आवेदन के कार्यान्वयन न होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति आयोग से सम्पर्क स्थापित कर सकता है तथा आयोग इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा। 31 मार्च, 2012 को श्री बी.एस. बक्शी विद्युत ओमबड्समैन के रूप में कार्याभार सम्भाल रहे थे। ओमबड्समैन की रिपोर्ट के अनुसार 01.04.2013 तक विद्युत ओमबड्समैन के पास 16 मामले लम्बित थे। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 8 अतिरिक्त प्रतिवेदन/याचिकाएं प्राप्त हुई जिन में से 8 याचिकाओं का 31.03.2014 तक निपटारा किया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को कुशल, विश्वसनीय तथा विद्युत की गुणवता वाली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा वितरण निष्पादन मानक विनियम, 2010 अधिसूचित किए गये हैं, जिसमें फयुज आफ/फाल्ट कॉल्ज, ओवरहैड लाईन, केबल ब्रेक डॉऊन, खराब वितरण ट्रांसफारमों को बदलना, मीटर सम्बन्धी शिकायतें, बन्द/खराब तथा जले हुए मीटर बदलना, मीटर/सेवा लाईनों को स्थानांनतरित करना, बोल्टेज समस्या, शैडयूलट ऑउटेजिज आदि जैसी उपभोक्ता सम्बन्धी सेवाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। इन विनियमों में उपभोक्ताओं तथा फिल्ड स्टाफ की सुविधा के लिए वितरण लाईसैंसधारी द्वारा ''उपभोक्ता शिकायत निवारण नियमावली पद्वति'' बनाने तथा इसे प्रकाशित करने का प्रावधान भी समाविष्ट है। यदि वितरण लाईसैंसधारी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानको को पूरा करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उन्हें पहुँची हानि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति हेतु आयोग के समक्ष मामला दायर कर सकते हैं।

6.7 समन्वय फोरम की सदस्यता

अन्य युटिलिटीज के साथ गतिशील तालमेल तथा विनियामकों द्वारा समान सुधार नीति अपनाने के लिए आयोग निम्न स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी सदस्यता के माध्यम से सक्रिय रूप से सम्बद्ध होता है:–

6.7.1 आधारभूत संरचना विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम (SAFIR)

अन्तर्राष्ट्रीय युटिलिटी विनियमन फोरम के अधीन कार्यरत आधारभूत संरचना विनियम हेतु दक्षिण एशिया फोरम मई, 1999 को विश्व बैंक की सहायता से स्थापित

किया गया जिसके अन्तर्गत बंगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत तथा पाक्स्तिान के आधारभूत संरचना, विनियामकों का नेटवर्क शामिल है। इसके अन्तर्गत विद्युत, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, जल, परिवहन आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसके उद्देश्यों में अनुसंधान, विनियामक सुधार प्रक्रिया तथा अनुभव से सम्बन्धित डाटा बैंक उपलब्ध करना तथा ज्ञान एवं प्रवीणता का लाभकारी आदान–प्रदान आरम्भ करना सम्मिलित है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर फोरम की बैठक में भाग लिया गया।

6.7.2 भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR)

भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) एक पंजीकृत संस्था है जिसका गठन फरवरी, 2000 में किया गया था। इसकी सदस्यता शुल्क पर आधारित है। FOIR का उद्देश्य विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता विकसित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा, उपभोक्ता समयक संस्थाओं का विकास, विनियामक संस्थाओं, यूटिलिटिज व अन्य लाभार्थियों में मानवीय तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास, विनियामक विधियों तथा प्रथा को सूचनात्मक आधार प्रदान करना, विनियामक मितव्ययता, स्वतन्त्र विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है। भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है, जिसमें विभिन्न मामलों में विचार–विमर्श किया जाता है। फोरम के सदस्य शासकीय निकाय में अवैतनिक हैसियत से नियुक्ति के पात्र हैं। शासकीय निकाय को सचिवालय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। FOIR की सर्वोच्चसता सामान्य निकाय में निहित है जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार सम्भ्वतः जून माह में होती है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय–समय फोरम की बैठको में भाग लिय गया।

6.7.3 विनियामको का फोरम (FOR)

भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (2) के उपबन्धों के अधीन विनियामकों का फोरम गठित किया गया था। विद्युत क्षेत्र में अधिकतर निश्चितता प्राप्त करने के उद्देश्य से फोरम पूरे देश में तालमेल स्थापित करके विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यो में एकरूपता लाने की दिशा में कार्य करने हेतु उत्तरदायी है। फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के अध्यक्ष तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERCS) के अध्यक्ष शामिल हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष इस फोरम के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान विनियामकों के फोरम (FOR) की कम से कम दो बैठक होगी आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर फोरम की बैठको में भाग लिया गया।

6.7.4 उत्तरक्षेत्रीय विद्युत विनियामक फोरम (NRFER)

एच.पी.ई.आर.सी., जे.के.ई.आर.सी., एच.ई.आर.सी., पी.ई.आर.सी., डी.ई.आर.सी., यु. पी.आर.सी., जे.ई.आर.सी., यू.ई.आर.सी. जैसे उत्तरी क्षेत्र के विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्षों द्वारा उत्तरी क्षेत्र के राज्यों से सम्बन्धित सामान्य विनियमन हेतु एक तालमेल फोरम स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। एन.आर.एफ.ई.आर. का पंजीकृत कार्यालय हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पंचकुला स्थित कार्यालय में स्थापित

किया गया है। इसके साथ ही यह भी प्रस्तावित था कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग के वरिष्ठतम अध्यक्ष एन.आर.एफ.ई.आर. (NRFER) के अध्यक्ष होंगे। एच.ई.आर.सी. के सचिव इसके सचिव होंगे। सामान्य निकाय तथा कार्यकारी समिति की बैठकें छः महीनें में कम से कम एक बार इसके मुख्यालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बारी–बारी से आयोजित की जायेगी। कार्यकारी समिति में 9 नामित सदस्य होंगे। (NRFER) का उद्देश्य उत्तरक्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्यतः विनियामक तंत्र से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में साझेदारी, उपभोक्ता हित तथा उनकी हिमायत, शिकायत निवारण तंत्र के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं में जागरूकता विकसित करना, विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा अध्ययन आरम्भ करना, समान क्षेत्रीय हितों सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा मानवीय एवं संस्थागत क्षमता निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

6.8 कम्प्यूट्रीकरण

आयोग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी क्षमता तथा संगति के दृष्टिगत डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए गये हैं। इन्हें स्थानी क्षेत्र नेटवर्क (LAN) के साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना का आदान–प्रदान प्राथमिकता तथा विश्वसनीय रूप में बिना कागज़ के प्रयोग से किया जा सके। कार्यालय में आवश्यक पेरिफेरियल हार्डवेयर सहित मानक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करवाए गये हैं।

6.9 पुस्तकालय

आयोग से सम्बन्धित पुस्तकें, विधिजर्नल तथा अन्य दस्तावेज अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान आवश्यकतानुसार समय–समय पर पुस्तकालय के लिए क्रय किये गयें।

अध्याय–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति निमार्ण या कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श अथवा उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

आयोग द्वारा अपने आवश्यक कार्यो के निवर्हन हेतु अधिनियम में ऐसे कार्यो के निष्पादन हेतु विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, परन्तु उसके द्वारा बनाये जाने वाले विनियामक प्रारूप उपबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रकाशन प्रक्रिया अपना कर आम जनता के सुझाव लेने होंगे, तथा ऐसे विनिमय, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के अध्याधीन होंगे। आयोग द्वारा अपने सभी प्रकार के कृत्यों के सम्बन्ध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अपनाते हुए सभी को सुनने के अवसर प्रदान करने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं के अधिकतम वर्गो के विचारो तथा हितों की उचित पैरवी हो रही है, आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता श्री पी.एन.भारद्वाज को आयोग की कार्यवाही के दौरान उपभोक्ताओं के हितों को प्रस्तुत करने हेतु उनके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्याय–8

सलाह प्रदान करने हेतु गठित समितियां तथा अन्य निकाय

राज्य आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 87 के अधीन समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया। 31.03.2014 को राज्य सलाहकार समिति के 21 सदस्य हैं जैसा कि परिशिष्ट–IV पर दर्शाया गया है। समिति के सदस्य वाणिज्य, कृषि, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन तथा विद्युत उद्योग जैसे हित समूहों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं। राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सचिव भी समिति के पदेन सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा आयोग के सचिव समिति के भी सचिव हैं। राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के कार्यवृत आम लोगों को उपलब्ध नहीं करवाए जाते।

अध्याय–9

विभागों तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं का संक्षिप्त पर्यवलोकन

9.1 हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन विद्युत आपूर्ति अधिनियम, (1948) के उपबन्धों के अधीन 1971 में किया गया था। तत्पश्चात बाड़ नियंत्रण तथा लघुसिंचाई कार्य के अतिरिक्त बहु–उद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग के समस्त कार्य जैसे विद्युत उत्पादन, जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कार्य बोर्ड को स्थानान्तरित किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण का कार्य 10 जून, 2010 तक किया गया जब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131(2), 132, 133 तथा अन्य प्रयोज्य उपबन्धों के अधीन विद्युत उत्पादन, वितरण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को विद्युत विपणन सम्बन्धी स्थानान्तरित किए गये तथा हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर रिर्फोम स्कीम, 2010 के अधीन विद्युत की संचारण द्वारा निकासी सम्बन्धी कार्य हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कम्पनी लिमिटेड को स्थानान्तरित किए गये। राज्य क्षेत्र में नये परियोजनाओं के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही एक पृथक उत्पादन कम्पनी की स्थापन की जा चुकी थी।

अधिनियम के उपबन्धों क अध्याधीन, दिनांक 15 जून, 2009 को जारी अधिसूचना संख्याः एम पी पी–ए(3)–1/2001–IV के अनुसार कार्य, परिसम्पत्तियां, सम्पतियां, अधिकार, दायित्व, भार, कार्यवाहियां तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित किए गये। इसके साथ ही अधिनियम के उपबन्धों के अधीन,'हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानान्तरण स्कीम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्याः एम पी पी–ए(3)–1/2001–IV दिनांक 10 जून, 2010 के अनुसार उपरोक्त कार्य, परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, अधिकार आदि जो पूर्व में सरकार में निहित थे, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाने जानी वाली नई सत्ताओं में पुनः निहित की गई। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत उत्पादन, विद्युत संचारण एवं वितरण सम्बन्धी कार्यो को उसमें पुनः निहित करने के उद्देश्य से काग्र करने हेतु 10 जून, 2010 को अस्तित्व में आया। विद्युत अधिनियम, 2003 भी धारा 14 के प्रथम उपबन्ध अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण तथा आपूर्ति के सम्बन्ध में एक मान्य लाइसैंसधारी है।

पुनर्गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य सौंपा गया है। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश राज्य में विपणन के साथ–साथ विद्युत वितरण प्रणाली के विकास, (नियोजन, रूपांकन तथा निमार्ण) संचार तथा रख–रखाव का दायित्व सौंपा गया है।

राज्य का नई विद्युत उत्पादन क्षमताओं की पहचान तथा अन्वेषण का कार्य भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सौंपा गया है। तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों का स्वामित्त्व तथा संचालन का रख रखाव भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सौंपा गया है तथा वह राज्य क्षेत्र में नए उत्पादन परियोजनाओं के निष्पादन कार्य को भी जारी रख सकता है यदि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आबंटित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों में भी विद्युत की भागीदारी है जबकि वह राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पड़ोसी राज्यों से भी विद्युत आयात करता है।

विद्युत बोर्ड के संचालन, रख–रखाव तथा वितरण सम्बन्धी कार्य,'उत्तर', 'मध्य', तथा 'दक्षिण' नामक तीन संचालन प्रभागों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रत्येक इ एच वी प्रभाग(पद्धति संचालन प्रभाग से नामित) मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्य करता है। तीनों संचालन प्रभागों के अन्तर्गत 12 संचालन वृत्त शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अधीन आने वाले भौगोलिक क्षेत्र, राज्य के 12 जिलों के सुनिश्चित क्षेत्र के अनुसार नहीं हैं। विकट भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु एवं बिखरे और दूरदराज के क्षेत्र में बसने वाली जनसंख्या के बावजूद राज्य द्वारा शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में सन् 1988 में शत्प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

9.2 हिमाचल प्रदेश पावर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश में विद्युत संचारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय के उपबन्धों के अधीन एक मान्य लाइसेंसधारी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड का गठन, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपनी अधिसूचना संख्याः एम पी पी–ए–(1)4/2006–लूज दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को अधिसूचित आदेश द्वारा किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर को जारी पूर्व अधिसूचना के साथ पठित अधिसूचना संख्या एम पी पी–ए–(1)4/2006–लूज दिनांक 3 दिसम्बर, 2008 के द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कार्य/व्यवसाय सौंपे गये थेः

1. 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाले उप–स्टेशनों के सभी प्रकार के नये कार्य।
2. 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाली संचारण लाईनों के निमार्ण/ बिछाने सम्बन्धी सभी नये कार्य।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा योजना के अधीन वित्त–पोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं, जिनके साथ अभी तक ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किए गये हैं, नये कार्यो सहित संचारण–तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा विद्युत की निकासी हेतु राज्य के लिए संचारण मास्टर योजना का निमार्ण, आधुनिकीकरण तथा निष्पादन।

4. सी टी यू, सी इ ए, ऊर्जा मंचालय, राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ संचारण सम्बन्धी योजना तथा समन्वय सम्बन्धी सभी मामले।
5. संचारण सम्बन्धी सभी मामलों में आई पी पी एस/ सी पी एस यू/ राज्य पी एस यू/ अन्य विभागों अथवा संगठनों अथवा केन्द्र तथा राज्य सरकार की एजेन्सियों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के साथ योजना बनाना तथा समन्वय स्थापित करना।
6. अन्य मामला सम्बन्धी सभी विषय जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निगम को सौंपे जाएं।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने दिनांक 10 जून, 2010 के आदेश के द्वारा राज्य संचारण युटिलिटी घोषित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2010 को जारी अपने आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को एक मान्य ''संचारण लाइसेंसधारी'' के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2011 से पूर्व संचारण शुल्क, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पर लागू होने वाली शुल्क आदेश के एक भाग के रूप में निर्धारित किया जाता था।

पावर ग्रिड ऑफ इंडिया द्वारा स्वामित्त्व प्राप्त तथा संचालित लाईनों के समन्वय, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा पावर कोम (पंजाब राज्य बिजली बोर्ड) सहित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के स्वामित्त्व वाली 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाली संचारण लाईनों का संचालन एवं रख–रखाव राज्य सरकार द्वारा जारी अपनी समसंख्या दिनांक 10 जून, 2010 के साथ पठित पूर्व अधिसूचना सहित अपनी अधिसूचना संख्या एम पी पी–ए(3)–1/2001–IV दिनांक 21 जून, 2010 के द्वारा इनका स्वामित्त्व भी हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को स्थानान्तरित किया गया।

9.3 हिमाचल प्रदेश पावर विद्युत निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से सम्बन्धित जल विद्युत के सभी पहलुओं के विकास, योजना, प्रोत्साहन तथा संगठन के उद्देश्य से दिसम्बर, 2006 में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड निगमित किया गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में हिमाचल प्रेदश सरकार की 60% तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की 40 प्रतिशत भागीदारी है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड का लक्ष्य है मेगावाट कि मार्च, 2017 तक 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता तथा वर्ष 2022 तक 5000 में वा विद्युत उत्पादन का दोहन किया जाए ताकि विद्युत उत्पादन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की खुशहाली में योगदान प्रदान किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में 450 मेगावाट शोंगटोंग कड़छम, 100 मेगावाट सैंज, 111 मेगावाट सावड़ा कुड्ड, 243 मेगावाट काशंग, 42

मेगावाट चिढ़गांव मझगांव तथा 40 मेगावाट रेणुका जी जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों पर निष्पादन कार्य चल रहा है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के समक्ष यह चुनौती है कि वह अपनी सभी प्रकार की तकनीकी तथा संगठनात्मक क्षमताओं का विकास करके एन.टी पी.सी, एन.एच.पी.सी तथा एस.जे.वी.एन.एल जैसी ख्यातिप्राप्त उत्पादन कम्पनियों के समकक्ष एक विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप मे विकसित करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य तथा ख्यातिप्राप्त तकनीकि मानवशक्ति के द्वारा विभिन्न विभागों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जल विद्युत विकास के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड युष्मीय, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत मुख्यतः सौर ऊर्जा, जैसी अन्य विद्युत विकास गतिविधियों के क्षेत्र में भी अपने कार्य में विविधता लाने का इच्छुक है। इसका उद्देश्य है कि राज्य की प्रगति एवं खुशहाली के दृष्टिगत, विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने, पर्यावरण तथा पारिस्थितिक सन्तुलन सुनिशिचित करते हुए ऊर्जा परियोजनाओं के सुनिश्चित कार्यान्वयन हेतु एक दीर्घकालीन निगमित योजना तैयार की जाए।

9.4 हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी

हिमाचल प्रदेश में राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र की स्थापना सन् 2002 में की गई थी तथा उसी समय से इसका संचालन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा किया जाता रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ ही राज्य में उत्पादन तथा संचारण को प्रतिस्पद्धात्मक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न युटिलिटी स्थापित की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड वितरण व्यवसाय में राज्य में एक मात्र युटिलिटी का कार्य करता रहा। राज्य संचारण युटिलिटी के स्वामित्त्वाधीन पूर्व में वर्गीकृत अन्तरराज्यीय संचारण लाईनें, एच वी/ई.एच.वी. अब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिन्हें अब एच.वी/ई.एच.वी संचारण लाईनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः क्षेत्र के अन्य कई राज्य जहां राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य राज्य संचारण युटिलिटी को सौंपे गये हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह कार्य अन्यथा रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास ही रखे गये हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्यों एवं कत्तव्यों के कुशल एवं प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिए गये हैं कि राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को स्वतंत्र रूप में कार्य करने हेतु कार्यशील स्वायत्तता प्रदान की जाए।

इसी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने आदेश एम पी पी–बी (13)–2/2010 दिनांक 8.11.2010 के अधीन राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को एक स्वतन्त्र सता प्रदान करने के उद्देश्य से ''हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी'' की

स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों की सेवाए दिनांक 17 जून, 2012 से सेकेन्डमेन्ट आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी को प्रदान की गई है। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी द्वारा दिनांक 17 जून, 2012 से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र का कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एक मात्र डी आई एस सी ओ एम होने के नाते तथा उसके द्वारा एक लम्बी अवधि तक राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र का कार्य किए जाने वाले दोनों कारणों से राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी को स्थानान्तरित करने में जटिलता उत्पन्न हुई। हिमाचल प्रदेश में अपनाए गये राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी के साथ) तथा ए एल डी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) की एक मात्र समन्वित पहल से परिवर्ती चरण में कठिनाई होने की सम्भावना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ए एल डी सी तथा हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी की सुविधाएं एक ही परिसर में अवस्थित हैं ; राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य संचालन हेतु वांछित आवश्यक परिसम्पतियां अभी तक भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी को स्थानान्तरित नहीं की गई है।

इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी की आवश्यक आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जायें ताकि वह अधिनियम के अधीन अपने कार्यो एवं कत्तव्यों का निवर्हन कर सके। इसके साथ ही, जल विद्युत परियोजनो के क्षेत्र में आई अत्याधिक वृद्धि तथा राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा खुली पहुँच की ओर प्रवृत होने के कारण राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अधिनियम के अधीन इसे ऊर्जा प्रणाली समन्वित के संचालन हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नियुक्त किया गया है।

9.5 ऊर्जा निदेशालय (DOE)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2009 में जल विद्युत विकास तथा परियोजना कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी मामलों के समाधान हेतु ऊर्जा निदेशालय की स्थापना एक एकाकी सम्पर्क स्थल के रूप में की गई। ऊर्जा निदेशालय के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है :–

1. राज्य की आपार जल विद्युत सम्भावना के सर्वोत्तम दोहन, विकास तथा प्रोत्साहन हेतु निदेश जारी करना तथा प्रेरक ढांचा उपलब्ध कराना।
2. कार्यक्रमों/नीतियों का समन्वय/सुविधाएं प्रदान करना ताकि ऊर्जा के संरक्षण के साथ–साथ इसका कुशल प्रयोग भी किया जा सके।

3. राज्य की मुफ्त/इक्वटी विद्युत की बिक्री द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना।

ऊर्जा निदेशालय राज्य के विद्युत विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों द्वारा अपना सहयोग प्रदान कर रहा है :–

i हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का आबंटन।

ii परियोजनाओं के कार्यान्वयन की संवीक्षा।

iii टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेन्स प्रदान करना।

iv हिमाचल प्रदेश के विद्युत भाग का विक्रय।

v ऊर्जा परिरक्षण तथा कार्यकुशलता उपायों को प्रोत्साहित करना।

vi जल विद्युत संयत्रों की गुणवता तथा सुरक्षा पहलुओं की संवीक्षा।

9.6 हिम ऊर्जा

हिमाचल प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु हिम ऊर्जा राज्य की नोडल ऐजेंसी है। इसके द्वारा राज्य/केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग में सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार के एम एन आर इ द्वारा हिमाचल प्रदेश को मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया गया है। हिमऊर्जा के कार्य निम्नलिखित है :–

1. सौर ऊर्जा साधनों का प्रापण, उपलब्धता एवं उनकी स्थापना।
2. विभिन्न उपलब्ध स्कीमों के अधीन भारत सरकार के एम एन आर इ को परियोजना मोड के अधीन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजना।
3. भारत सरकार के जे एन एन एस एम तथा एम एन आर इ की अन्य स्कीमों के अधीन लाभान्वितों को उपदान प्रदान करवाना।
4. राज्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करना तथा राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के प्रयोग, प्रोत्साहन तथा विकास हेतु नीति अपनाना।
5. हिमऊर्जा एम एच इ पी से विश्वसनीय तथा गुणवता वाली निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चत करना।
6. विद्युत परियोजनाओं की पहचान तथा आबंटन के लिए पारदर्शी नीति बनाना।
7. निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी द्वारा लघु जल विद्युत सम्भावनाओं का दोहना।
8. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्देशो के अनुसार विद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों को राजगार सुनिश्चित करना।
9. एस सी एस पी के अधीन अनुसूचित जाति बहुल गांवों में एस पी वी स्ट्रीट लाईटे लगाना सुनिश्चित करना।
10. ऊर्जा के सभी नवीन एव नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के सम्बन्ध में संसाधन मूल्याकंन तथा सम्भावनाओं के अनुमान के बारे अध्ययन करना।

11. स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों को उपदान के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी मामलों का संचालन करना।
12. टेक तथा इन्टरकनैक्शन प्वांइट के अनुमोदन हेतु एच पी टी सी एल तथा डी ओ ई, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सुविधएं प्रदान करना।
13. वैधानिक तथा गैर वैधानिक क्लीयरेन्स प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों से सम्पर्क करना।
14. नवीकरणीय ऊर्जा उपायों के सम्बन्ध में धन उपलब्ध करवाने बारे जनजातीय विभाग तथा समाजिक न्याय विभाग के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।
15. विभिन्न सरकारी विभागों स्वंतन्त्र विद्युत उत्पादको के साथ समन्वय स्थापित करना तथा परियोजनों को शीघ्र पूरा कनरे की संवीक्षा करना।
16. नवीकरणीय ऊर्जा साधनों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके विकास हेतु विभिन्न साधनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

9.7 मुख्य विशेषताएं

9.7.1 उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में कुल 23000 मेगावाट जलविद्युत सम्भावना चिन्हित की गई है। हिमाचल प्रदेश को देश में जलविद्युत राज्य का दर्जा हासिल करने तथा राज्य में उपलब्ध अपार जलविद्युत सम्भावना के दोहन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा, राज्य, केन्द्र, संयुक्त तथा निजी चारों को शामिल करके एक नीति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 5 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं को राज्य तथा निजी क्षेत्र के अधीन कार्यान्वयन हेतु हिमऊर्जा को सौपें गये हैं। 27436 मेगावाट चिन्हित जल विद्युत सम्भावना में से 9202.89 मेगावाट विद्युत दोहन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा 11361 मेगावाट औसत क्षमता विभिन्न क्षेत्रों के अधीन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 1296.5 मेगावाट सम्भावना क्षमता विवादाधीन अथवा रद् की गई है, जबकि 755 मेगा वाट सम्भावना पर्यावरण के अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी गई हैं।

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अधीन जलविद्युत विकास की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की स्थिति

क्रं सं	क्षेत्र		चालू	निर्माणाधीन	क्लीयरेन्स प्राप्त	जांच के अधीन	विवादास्पद रद् की गई	छोड़ दी गई	कुल योग
			क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में
1.	हिमऊर्जा	राज्य	2.37	0.00	14.50		0.00	0.00	16.87
2.		निजी	232.00	168.85	332.92	461.10	0.00	0.00	11.94.87
3	हिमाचल प्रदेश राज्य	5 मे. वा तक	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10

4.	विद्युत बोर्ड	› 5 मे. वा.	456.45	110.00	0.00	85.50	6.00	0.00	657.95
5.	एच पी पी सी एल		0.00	865.00	1285.00	963.00	0.00	20.00	3124.00
6.	केन्द्रीय तथा संयुक्त		6469.73	1806.00	66.00	588.00	0.00	0.00	8929.73
	यमुना परियोजना		131.57						131.57
7.	एंजीत सागर डैम (हिमाचल का भाग)		27.60						27.60
8.	निजी		1862.07	781.43	759.20	3083.50	1290.50	735.00	8511.70
योग			**9202.89**	**3722.28**	**2457.62**	**5181.10**	**1296.50**	**755.00**	**22615.39**
विचाराधीन शेष सम्भावना									**4820.61**
कुल योग									**27436.00**

9.7.2 नेटवर्क

अन्तरंग राज्य संचारण एवं वितरण नेटवर्क के अन्तर्गत 220 के वी, 132 के वी, 66 के वी, 33 केवी, 11 केवी तथा 0.4/0.23 के वी बोल्टेज समाविष्ट है। नेटवर्क के अधीन विभिन्न बोल्टेज स्तरों के अन्तर्गत लगभग 93943.02 किलोमीटर लम्बी विद्युत लाइनो का नेटवर्क शामिल है। बोल्टेज बार लाइनों की लम्बाई तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता का विवरण निम्न प्रकार से है :–

इ एच टी लाइन की लम्बाई

220 के वी	132 के वी	66 के वी	कुल
422.49 कि. मी.	1419.22 कि. मी.	512.12 कि. मी.	2353.82 कि. मी.

एच टी लाइन की लम्बाई

33 के वी	22 के वी	15 के वी	11 के वी	2.2 के वी	योग
3057.94 कि. मी	6980.37 कि. मी.	105.41 कि. मी.	21259.46 कि. मी.	48.27 कि. मी.	31451.45 कि. मी.

एच टी लाइन की लम्बाई तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता का विवरण

एल टी लाइन (0.4/02 के वी	वितरण उप–केन्द्र	
	संख्या	के वी ए
60137.75 कि. मी.	26126	2224620.73

संचारण / वितरण नेटवर्क के पोषण हेतु कुल 38 इ एच वी उप–केन्द्र हैं। राज्य के कुछ भागो की विकट जलवायु स्थिति तथा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इतने बड़े नेटवर्क का

रख–रखाव एक चुनौती भरा कार्य है। राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित जल विद्युत उत्पादन केन्द्रो से बिजली की निकासी तथा बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु नेटवर्क को उन्नतिशील बनाया जाना आवश्यक है।

9.7.3 वितरण

हिमाचल प्रदेश में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1988–89 (जून 1988) के दौरान 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया था। तत्पश्चात्, मैसर्ज़ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा बदल दी गई थी। 2001 की जनगण्ना के अनुसार मार्च, 2014 के अन्त तक कुल 17495 गांवो में से 17483 गांवो का विद्युतिकरण के लिए उपायुक्त नहीं है क्योंकि वे बिना आबादी वाले अस्थाई गांव है जो घने जंगलों में स्थित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हैमलटों के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया गया जिसके अधीन मार्च 2014 तक 4047 (चिन्हित) + 64 (गैर चिन्हित) हैमलटों का विद्युतीकरण किया गया जबकि 135 हैमलटों को अभी भी विद्युत उपलब्ध करवाना बाकी है।

इस समय कुल 21.41 लाख उपभोक्ता हैं, तथा कनैक्टिड लोड 58,15,923 किलोवाट है। इन उपभोक्ताओं को 33,805.27 किलो मीटर एच टी तथा 60,138 किलो मीटर एल टी लाइनों के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति प्रदान की जा रही है। 26,126 वितरण उप–केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 22,24,621 किलोवाट है। वर्ष 2013–14 के दौरान संचारण तथा वितरण क्षतियों का स्तर 12.26 प्रतिशत रहा।

9.7.4 खपत तथा उपलब्धता

राज्य में वर्ष 2013–14 के दौरान उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा कुल 7535.83 मि. यु. विद्युत का प्रयोग किया गया तथा अधिकतम मांग 1281 मेगावाट रही। सर्दी के महीनों में अधिक ऊर्जा की मांग रहती है जबकि इस समय जलविद्युत उत्पादन कम रहता है। कुल मिलाकर राज्य में विद्युत उत्पादन अधिक रहता है तथापि सर्दियों के महीनों में वितरण लाइसेंसधरी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) के पास बिजली की कमी रहती है, तथा गर्मियों के महीनों में इसके पास विद्युत की अतिरिक्त मात्रा रहती है। गर्मियों के महीनो में अतिरिक्त विद्युत पडोसी राज्य में जमा की जाती है तथा सर्दियों में इसे उनसे प्राप्त किया जाता है क्योंकि इस समय लाइसेंसधारी के पास बिजली की कमी रहती है। राज्य सरकार का विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाग है तथा इसके साथ ही नाथपा झाकड़ी जैसी जल विद्युत परियोजना में भी इसकी इक्वटी भागीदारी है। राज्य को, राज्य में स्थित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से भी 12 % मुफ्त बिजली प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड अपनी आवश्ययकता की पूर्ति उपरोक्त साधनों, अपने जल विद्युत स्टेशनों तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड एवं भागीदारी वाले अन्य उत्पादन केन्द्रों से प्राप्त विद्युत के द्वारा करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 1052 युनिट थी जो 2013–14 के दौरान बढ़कर 1099 युनिट हो गई इस प्रकार इसमें 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में लगभग 60% का विद्युत उपयोग उद्योगों द्वारा किया जाता है, इसके पश्चात् घरेलू

उपभोक्ताओं द्वारा 23.5% विद्युत का उपयोग किया जाता है। तीन वर्षों के दौरान वर्गों के अनुसार ऊर्जा के उपयोग तथा वृद्धि दर का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ग	**वित्त वर्ष 2011–12**	**वित्त वर्ष 2012–13**		**वित्त वर्ष 2013–14**	
	खपत (मि. यु)	**खपत (मि. यु)**	**वृद्धि दर**	**खपत (मि. यु)**	**वृद्धि दर**
घरेलू	407.29	1618.45	15.00%	1774.497	9.64%
गैर घरेलू गैर वाणिज्यि के	98.55	106.82	8-39%	117.59	10.08%
वाणिज्यिक	387.2	408.73	5.56%	450.942	10.33%
सार्वजनिक रोशनी	12.89	13.91	7.9171%	12.454	-10-47%
लघु विद्युत	58.42	61.48	5.24%	59.069	-392%
मध्यम विद्युत	139.64	144.69	3.62%	144.069	-0.43%
वृहद् आपूर्ति	4116.5	4173.16	1.38%	4287.579	2.74%
जल पम्पिग तथा सिचाई आपूर्ति	476.14	500.6	5.14%	512.041	2.29%
अस्थाई	28.56	25.09	–9.31%	26.895	3.84%
बहुल आपूर्ति	192.88	169.78	–11.98%	150.696	–11.24%
कुल ऊर्जा	**6918.07**	**7223.52**	**4.42%**	**7535.832**	**4.32%**

अध्याय–10

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

वर्ष 2012–13 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका अनुच्छेद–1 पर दशाई है।

अध्याय–11

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक

11.1 आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कुल वेतन का विवरण, 31–03–2014 अथवा उनके द्वारा आयोग में अन्तिम मास तक कार्य करने की स्थिति के अनुसार **अनुच्छेद–II** पर दिया गया है।

11.2 आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकार द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी वर्ग के लिए अनुमोदित वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं, ऐसे मामलो को छोड़कर जिनके बारे में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड पर आधारित वेतनमान सरकार द्वारा संरक्षित किए गये हों। तथापि हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से आयोग द्वारा स्केन्डमेन्ट आधार पर लिए गये कर्मचारियों, जिनके वेतनमान तथा भत्ते हिमाचल प्रदेश सरकार से पृथक हैं के सम्बन्ध में वही वेतनमान तथा भत्ते दिए जा रहे हैं जो कि उन्हें अपने सम्बन्धित संगठनों में देय थे।

अध्याय–12

आयोग द्वारा अपने कार्य निष्पादन हेतु अपनाए अथवा धारित नियम, विनियम, नियमावलियां निर्देशन तथा अभिलेख।

12.1 नियम, विनियम तथा निर्देशन :

आयोग तथा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने नैत्यिक कार्यों के निर्वहन हेतु उपनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिनियम, नियम तथा विनियम निम्न हैं :–

1. विद्युत अधिनियम, 2003
2. विद्युत नियम, 2005
3. विद्युत नीति

4. शुल्क नीति

5. सी. ई. आर. सी. विनियम तथा आदेश

6. आयोग द्वारा वर्ष के दौरान समय–समय पर बनाएं गये विभिन्न विनियम/संशोधन/अन्य अधिसूचनाएं/आदेश

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्षीय प्रबन्धन) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण निष्पादन मानक)
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत व्यापारी बनने के लिए पात्रता शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व तथा इसकी अनुपालना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति राशि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच प्रभारों का निर्धारण) आदेश, 2011
- औसत पूल्ड क्रय लागत (ए पी पी सी) आदेश, दिनांक 14 जून, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संयोजन की स्वीकृति, अन्तरा राज्य दीर्घकालीन तथा लघुकालीन खुली पँहुच तथा सम्बन्धित सामग्री) के अधीन संचारण में खुली पँहुच विनियम लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना, विनियम, 2010 जारी किए गये हैं।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारधण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (स्टेट लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा लगाये जाने वाले प्रभार तथा शुल्क की वसूली) अधिनियम, 2011

आयोग द्वारा अभी तक अधिसूचित विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

7. नागरिक प्रक्रिया कोड।

8. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (निधि निर्माण निधि प्रयोज्यता तथा बजट निर्माण के लिए फार्म तथा समय) नियम, 2007

9. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों स्थापना मामलों आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी नियम, निर्देश/परिपत्र।

12.2 नियमावली तथा रिकार्ड आदि

उपरोक्त वर्णित नियमों तथा विनियमों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शका आदेश/धारणा–पत्र भी जारी किए गये हैं :–

1. लोड फोरकास्ट, संसाधन योजना तथा विद्युत प्रापण प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शन।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु निर्देश, 2005
3. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग खुली पँहुच प्रभार निर्धारण आदेश, 2008
4. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अन्तर राज्यीय ट्रेडिंग मार्जिन निर्धारण आदेश, 2008
5. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड इन्टर एक्टिव फोटो बोल्टिक तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं (एम एन आर ई दिशा निर्देशों के अधीन पात्र) के लिए शुल्क, 2009
6. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनयामक आयोग (खुली पँहुच प्रभार निर्धारण) आदेश, 2010
7. नामोदिष्ट राज्य एजेंसी अधिसूचना।
8. आर पी पी ओ अधिसूचना, कैप्टिव तथा खुली पँहुच वाले उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) उपयोगकर्ता (कर्ताओं) पर लागू।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना की मान्यता हेतु शुल्क तथा प्रभार निर्धारण) आदेश, 2010
10. संयोजन, दीर्घ तथा मध्यम अवधि, अन्तर्राज्यीय खुली पँहुच की स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया।

अध्याय–13

आबंटन तथा लाभान्वितों सहित उपदान कार्यक्रम

उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन इसके कार्यो की परिधि में नहीं आता।

अध्याय–14

रियायत प्राप्तकर्ता, प्रदान किए गये परमिट अथवा अनुज्ञप्ति

आयोग द्वारा वर्ष के दौरान ऐसी किसी प्रकार की रियासत, परमिट अथवा अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई।

अध्याय–15

आयोग द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना का विवरण

आयोग द्वारा जारी किए गये सभी विनिमय/मार्गदर्शन सिद्धान्त तथा महत्त्वपूर्ण आदेश इलैक्ट्रोनिक माध्यम में रूपान्तरित किए गये हैं जो आयोग की वेबसाईट www.hpere.org पर उपलब्ध हैं।

अध्याय–16

पुस्तकालय अथवा वाचनालय, यदि उन्हें सार्वजनिक प्रयोग हेतु अनुरक्षित किया गया हो सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधा

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में जनसाधारण को विस्तृत सूचना तथा सुलभ पहुँच के उद्देश्य से अपनी वेबसाईट http:/hperc.org तैयार की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनिमय, (कार्य संचालन) 2005 के विनिमय 23 के अधीन आयोग की प्रत्येक कार्यवाही का रिकार्ड सम्बन्धित पक्षों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए खुला है बशर्ते कि वे किसी भी समय कार्यवाही के दौरान अथवा आदेशों के पारित होने पर शुल्क अदा करने तथा आयोग द्वारा लगाई गई अन्य शर्तो का अनुपालन करें। उपरोक्त विनिमयों के विनिमय 24 के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाने तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर आयोग के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक प्रयोग हेतु खुला नहीं है।

अध्याय–17

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 तथा 9 के अनुपालन में आयोग द्वारा अधिसूचित जनसूचना अधिकारियों का विवरणः

क्रं सं	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या कार्यालय / मोबाइल	आवास
1.	**अपीलीय प्राधिकारी**			
	डॉ मान सिंह 01.08. 2012 से 31.03. 2014	सचिव	0177–2621003 94180–03256	0177–2623291
2	**जनसूचना अधिकारी**			
	श्री एस.एल भारद्वाज 25.11.2013 तक एवं श्री दिवाकर शर्मा 14.01.2014 से 31.03. 2014 तक	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	0177–2627263	0177–2656114
			0177–2627263	
3	**सहायक जन सूचना अधिकारी**			
	श्रीमती रमा महाजन	अधीक्षक	0177–2627263	98051–99588

अध्याय –18

आयोग के नियंत्रण अथवा उसके द्वारा धारित दस्तावेजों के वर्ग

आयोग के पास जो दस्तावेज हैं वे मुख्य रूप से निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :–

i. आयोग की परिधि में सौंपे गये मामलों के सम्बन्ध में विभिन्न एजेंसियों तथा उनके उपभोक्ताओ द्वारा दायर की गई याचिकाएं तथा उन पर जारी किए गये आदेश।

ii. ऐसे मामले जिनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा राज्य सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उप–धारा 2 के अधीन कानूनी परामर्श दिया गया हो।

iii. विभिन्न विनियमों को अन्तिक रूप दिए जाने सम्बन्धी दस्तावेज तथा एतद् सम्बन्धी संशोधन।

iv. अधिनियम की धारा 128 के अधीन मामलों के सम्बन्ध में की गई जांच।

v. आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन, संचारण, थोक तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न अध्ययन, विनियम बनाने, कानूनी तथा तकनीकी सहायता आदि के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति सम्बन्धी पत्राचार।

vi. बिल, वाऊचर, भुगतान रसीद तथा सम्बन्धित अन्य दस्तावेज।

vii. वार्षिक लेखा तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की प्रतियां।

viii. लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण रिपोर्ट।

ix. कैश बुक, बही खाता आदि।

x. कर्मचारियों के निजी रिकार्ड तथा सेवा पंजियां।

अनुच्छेद–I

आयोग के कर्मचारियों की दूरभाष निर्देशिका

क्रं सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नं०/ एक्साटैंशन	आवास दुरभाष संख्या
1.	श्री सुभाष चन्द्र नेगी	अध्यक्ष	2627262	2621006
2.	डॉ मान सिंह, हि०प्र०से०	सचिव	2621003	2623291
3.	श्री एस. के. जोशी	कार्यकारी निदेशक (टैरिफ.)	2627978	2625501
4.	श्री बी. एम.सूद	कार्यकारी निदेशक (तकनिकि)	2627983	94180–28701
5.	श्री पंकज शर्मा	उप निदेशक (टैरिफ)	2627907	94180–28496
6.	श्रीमती रिंकू गौतम	उप निदेशक (टी. इको.)	2627908	98166–36690
7.	श्री अजय चड्डा	उप निदेशक	2627907	2657452
8.	श्री राकेश चन्द नेगी	उप निदेशक	2627907	2629280
9.	श्री दिवाकर शर्मा	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	2627907	2640471
10.	श्री सतीश आर्या	विधि अधिकारी	2627908	94185–15295
11.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	निजी सचिव	2627262	98171–08228
12.	श्री सुशील कश्यप	रीडर	2627908	94181–20556
13.	श्री सतीश घारू	निजी सहायक	2627908	–
14.	श्री बी.एस.कंवर	निजी सहायक	2627262	9418069569
15.	श्रीमती रमा महाजन	अधीक्षक	2627907	98051–99588
16.	श्री राज कुमार शर्मा	अधीक्षक	2627908	94592–65289
17.	श्रीमती रेनु वत्स	स्टैनोग्राफर	2621003	9816398893
18.	श्री दिनेश चौहान	लिपिक	2627978	94184–62400
19.	श्री जगत राम	लिपिक	2626907	9859–59547
20.	श्री रूम सिंह	चालक	–	9816002465
21.	श्री राजकुमार	चालक		9418053363
22.	श्री कुन्दन सिंह	सेवादार	–	–

आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन

क्रं सं	नाम	कुल मासिक वेतन
1.	श्री सुभाष चन्द्र, नेगी, अध्यक्ष	113025
2.	डॉ मान सिंह, सचिव	0
3.	श्री बी. एम. सूद, कार्यकारी निदेशक, (टैरिफ)	141348
4.	श्री एस. के. जोशी कार्यकारी निदेशक (तकनिकि)	136050
5.	श्री रिंकू गौतम, उप निदेशक (टै0ईको0)	82891
6.	श्री अजय चड्डा उप निदेशक	67619
7.	श्री पंकज शर्मा उप निदेशक	77077
8.	श्री राकेश नेगी, उप निदेशक	60987
9.	श्री दिवाकर शर्मा, वरि० लेखा अधिकारी	43840
10.	श्री सतीश आर्या, विधि अधिकारी	58398
11.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, निजी सचिव	66996
12.	श्री सतीश घारू निजी सहायक	64401
13.	श्री अजय कौशिक, निजी सहायक	54266
14.	श्री सुशील कश्यप, रीडर	64237
15.	श्रीमती रमा महाजन, अधीक्षक	44144
16.	श्री कमल दिलौक, अधीक्षक	35699
17.	श्री बी. एस. कंवर, निजी सहायक	47143
18.	श्री राज कुमार शर्मा, अधीक्षक	56134
19.	श्रीमती रेनु वत्स, आशुटंकक	42556
20.	श्री दिनेश चौहान, लिपिक	28154
21.	श्री जगत राम, लिपिक	27825
22.	श्री रूम सिंह, चालक	32093
23.	श्री राज कुमार,चालक	25095
24.	श्री कुन्दन, सेवादार	16135

01–04–2013 से 31–03–2014 तक कर्मचारी वर्ग का विवरण

क्रं सं	नाम तथा पदनाम	कार्य ग्रहण करने की तिथि	नियुक्ति की विधि
1.	श्री सुभाष चन्द्र नेगी (अध्यक्ष)	01–02–2011	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
2.	डॉ० मान सिंह, सचिव (हि०प्र०से०)	21.08.2012	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
3.	श्री एस. के. जोशी, कार्यकारी निदेशक, (टैरिफ.)	03.02.2011	सेकेंडमेन्ट आधार पर
4.	श्री बी. एम. सूद, कार्यकारी निदेशक, (तकनिकी)	06.06.2012	सेकेंडमेन्ट आधार पर
5.	श्री तुषार गुप्ता, निदेशक (टैरिफ)	01.10.2010	सेकेंडमेन्ट आधार पर
6.	श्री लुकेश कुमार, निदेशक (टी. इ.)	26.12.2011 से 04.07.2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर
7.	श्री पंकज शर्मा, उप निदेशक	01.08.2012	सेकेंडमेन्ट आधार पर
8.	श्रीमती रिंकू गौतम, उप निदेशक (टी. ई.)	31.05.2013	स्थाई
9.	श्री अजय चड्डा, उप निदेशक	01.09.2007 से (23.12.2010 को अर्न्तलयित)	स्थाई
10.	श्री जे. एस. रेटका, (पी.ए.ओ.)	17.11.2000 से 06.07.2010	स्थाई तथा एच. ई. आर सी./एच. पी. टी. सी एल में सेकेंडमेन्ट पर
11.	श्री एस. एल. भारद्वाज वरिष्ठ लेखा अधिकारी	04.10.2012	हिमाचल प्रदेश सरकार से
12.	श्री दिवाकर शर्मा, वरि० ए.ओ.	----	हिमाचल प्रदेश सरकार से
13.	श्री सतीश कुमार आर्या	01.07.2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर
14.	श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर पी. एस.	22.02.2001	सेकेंडमेन्ट आधार पर
15.	श्री सुशील कश्यप, रीडर	13.02.2009	स्थाई
16.	श्री सतीश घारू, निजी सहायक	19.11.2004	स्थाई
17.	श्री अजय कौशिक, ए. पी. एस.	14.02.2007	सेकेंडमेन्ट आधार पर
18.	श्रीमती रमा महाजन, अधीक्षक	30.10.2004	स्थाई
19.	श्री कमल दिलैक, वरिष्ठ सहायक	30.10.2004	स्थाई
20.	श्री बी. एस कंवर, निजी	30.10.2004 से	स्थाई

	सहायक	20.08.2009)	
21.	श्री राज कुमार, अधीक्षक	15.11.2007	स्थाई
22.	श्रीमती रिनू वस्ट, आशुटंकक	01.10.2008 (18.07. 2013 से अर्न्तलयित)	स्थाई
23.	श्री दिनेश चौहान, लिपिक	01.08.2008 18.07.2013 से अर्न्तलयित)	सेकेंडमेन्ट आधार पर
24.	श्री जगत राम, लिपिक	13.10.2006	सेकेंडमेन्ट आधार पर
25.	श्री ओम प्रकाश, चालक	12.01.2001 से 31.05.2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर
26.	श्री रूम सिंह, चालक	01.06.2007 (14.07.2009 से अर्न्तलयित)	स्थाई
27.	श्री राज कुमार चालक	06.04.2009 28.09.2013 से अर्न्तलयित)	
28.	श्री मनमोहन लाल, बिल वितरक	08.05.2002 से 31. 10.2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर
29.	श्री कुन्दन सिंह, सेवादार	08.11-2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर

अनुच्छेद–IV

आयोग की राज्य परामर्श–समिति के सदस्य

क्रं सं	नाम पदनाम तथा पता	समिति में पदनाम
1.	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला–171002.	पदेन अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव,(एम पी पी एण्ड पावर) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला 171002	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला 171002	सदस्य
4.	सचिव, ब्यूरो ऑफ एर्नेज़ी एफिशैन्सी चतुर्थ तल सेवा भवन, आर के पूरम, नई दिल्ली–110006	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ब्लाक न० 14 सी. जी. कम्पलैक्स लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	सदस्य
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत भवन शिमला–4	सदस्य
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हिमफेड ब्लिडिंग, न्यू शिमला–171009.	सदस्य
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रेंडिग कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, द्वितीय तल एन बी सी सी टॉवर, 15 भिखाजी, कैम्पा प्लेस, नई दिल्ली, 110066.	सदस्य
9.	विभागाध्यक्ष (विद्युत इंजीनियरिंगद्ध राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि० प्र०।	सदस्य
10.	निदेशक (संचालन) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, शिमला–4	सदस्य
11.	निदेशक, ऊर्जा निदेशालय फेस–3 सैक्टर–5 शान्ति भवन, न्यू शिमला–171009.	सदस्य
12.	निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन शिमला–171005	सदस्य

13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिम ऊर्जा, एस. डी. ए. कम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला–171009	सदस्य
14.	श्री राजेश कुमार मेंहदीरत्ता उप–प्रधान, इंडिया एनेर्जी एक्सचैंज लिमिटेड, 401, चतुर्थ तल बोस्टन हॉऊस, सुरेन रोड़, अन्धेरी (पूर्वद्ध मुम्बई, 400093.	सदस्य
15.	श्री पी. एन. भारद्वाज, आर्केडिया, पो. आ. धर्मपुर, जिला सोलन (हि०प्र०) 173209	सदस्य
16.	प्रधान, शिमला होटल एण्ड रैस्टुरेन्ट एसोसिएशन द्वारा होटल शिवालिक, रिज़, शिमला (हि०प्र०)	सदस्य
17.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड हिमफैड भवन, बिलो ओल्ड एम. एल. ए. क्वार्टरज़, पंजड़ी, शिमला–171005.	सदस्य
18.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पॉवर संचारण निगम, बोरोवालिया हॉऊस, खलीनी, शिमला, 171002 (हि०प्र०)	सदस्य
19.	अध्यक्ष सी आई आई, हिमाचल कौंसिल, सैक्टर 31–ए, चण्डीगढ़–160030.	सदस्य
20.	अध्यक्ष, हिमाचल समिति, पी एच डी सी सी आई, कमरा न०205, उद्योग भवन, शिमला–1	सदस्य
21.	कन्विनर हिमाचल प्रदेश, लघु जल विद्युत एसोसिएशन बी–99 सैक्टर–3 न्यू शिमला–171009 (हि०प्र०)	सदस्य

****